संख्या 4009 /XXIV-B-3/24/64697

प्रेषक,

रंजना राजगुरू
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 30 सितम्बर, 2024

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-588/2023, राज्य के विकासखण्डवार हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के टॉपर 5-5 छात्र-छात्राओं को भारत दर्शन-शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। उक्त कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा" के क्रियान्वयन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः विविध/13529/आठ-ड(1)/मु0घो0/2024-25 दिनांक 03.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-588/2023, राज्य के विकासखण्डवार हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के टॉपर 5-5 छात्र-छात्राओं को भारत दर्शन-शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। उक्त कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा" के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकासखण्डवार 2-2 छात्र-छात्राओं को भ्रमण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) को निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (यथासंशोधित) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट मैनलअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का कड़ाई से पालन अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4. विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भ्रमण कार्यक्रम से शैक्षिक कैलेण्डर प्रभावित न हो।
5. धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

6. बजट मैनुअल पैरा–88 मे इंगित प्राविधान कि नियन्त्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल संज्ञान मे लाया जाए तथा बी0एम0–8 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाए। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. भ्रमण कार्यक्रम का सफल आयोजन हो जाने के पश्चात् उक्त के संबंध में प्रमाण–पत्र एवं भ्रमण हेतु क्रय किये गये रेल टिकटों की प्रति शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपलब्ध करायी जाएगी।
8. भ्रमण कार्यक्रम हेतु चयनित छात्र–छात्राओं से लिखित सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी।
9. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यों हेतु व्यय की गयी धनराशि की फॉटवार सूची एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अधिष्ठान संबंधी जिन मदों में किसी मुद्रण (टंकण) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान/आवंटित में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के संबंध में धनराशि व्यय करने से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
11. भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र–छात्राओं की सुरक्षा आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता एवं निदेशक का होगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0 11 राजस्व पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 03–बालक एवं बालिका विद्यालय के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Signed by
Ranjana Rajguru
Date: 30-09-2024 12:01:35
(रंजना राजगुरु)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: /XXIV-B-3/24/64697, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1–महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

4–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

5–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।

6–वित्त विभाग (अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।

7–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।

8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 30-09-2024 12:06:24

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-8219/XXIV-B-1 /24/31(02)/2022

1913
16-01-2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 देहरादूनः दिनांकः 15 जनवरी, 2024

विषयः माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज एवं राजकीय हाईस्कूल के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre For Excellence) की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नियोजन/19102/पांच-(92)/2023-24, दिनांक 18.09.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत संलग्न सूचीनुसार कुल 559 उत्कृष्ट विद्यालयों (Centre For Excellence) की स्थापना किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत करते हैं:-

1- उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विद्यालय चयन के निम्न मानक अपनाये जायेंगे:-

1. उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया जायेगा, जिसके 15 किमी0 की सीमान्तर्गत अधिक से अधिक राजकीय हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट विद्यालय संचालित हों। इस प्रकार चयनित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय तथा उसकी 15 किमी0 की सीमान्तर्गत स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आच्छादित विद्यालयों के रूप में चिन्हित किया जायेगा।
2. उत्कृष्ट विद्यालय आच्छादित विद्यालयों से सड़क मार्ग से जुड़ा हो।
3. उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में ऐसे राजकीय हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट विद्यालयों को चयनित किया जायेगा, जहां पहले से ही विद्युत संयोजन, पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो।

... by KAPIL GAUR, RO-SECONDARY EDU-I-EG, REVIEW OFFICER, Secondary Education Department on 15/01/2024 02:45 PM

4. उत्कृष्ट विद्यालय में पर्याप्त कक्षा–कक्ष अथवा भविष्य में कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।

2– उत्कृष्ट विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु कार्यः–

1. उत्कृष्ट विद्यालय में साहित्यिक वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग एवं कृषि वर्ग से सम्बन्धित समस्त अनिवार्य/ऐच्छिक विषयों के पदों का सृजन किया जायेगा तथा विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति/तैनाती की जायेगी।
2. उत्कृष्ट विद्यालय के समूह में तैनात वरिष्ठतम प्रधानाचार्य संस्थाध्यक्ष के रूप में विद्यालय का संचालन करेंगे। उत्कृष्ट विद्यालय में उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों के अध्यापन हेतु किया जायेगा। उत्कृष्ट विद्यालय में तैनात शिक्षक अपने–अपने संवर्ग के सदस्य बने रहेंगे तथा अपने संवर्ग में उनकी वरिष्ठता यथावत रहेगी।
3. उत्कृष्ट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. उत्कृष्ट विद्यालयों के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी पाठ्य–पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी।
5. उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या में बढोत्तरी के दृष्टिगत अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण किया जायेगा।
6. उत्कृष्ट विद्यालयों में यथावश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी तथा खेल सुविधाओं के लिये क्रीड़ा मैदान विकसित किये जायेंगे।
7. उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र–छात्राओं को छोड़कर आच्छादित विद्यालयों के छात्र– छात्राओं के लिये स्थानीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र–छात्राओं को आवागमन हेतु स्थानीय स्तर पर ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी तथा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उत्कृष्ट विद्यालय में आच्छादित विद्यालयों से आने वाले छात्र–छात्राओं को ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट की सुविधा किस प्रकार सुलभ हो सके। इसके साथ ही सम्बन्धित विद्यालय के विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी ट्रान्सपोर्ट की स्थानीय व्यवस्था हेतु कार्ययोजना तैयार करेंगे।

4– उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में विभागीय मानकानुसार/मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विभागान्तर्गत संचालित राजीव गाँधी आवासीय विद्यालय एवं अटल उत्कृष्ट/आदर्श विद्यालयों

Generated from eOffice by KAPIL GAUR, RO-SECONDARY EDU-I-KG, REVIEW OFFICER, Secondary Education Department on 15/01/2024 03:35 PM

थर्ड पार्टी मूल्यांकन के अनुरूप प्राप्त उत्कृष्टता के परिणामों को प्रस्तावित उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की कार्ययोजना में समाहित किया जाएगा।

6— यह आदेश वित्त (वित्त–नियंत्रण) अनु0–03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटरजनित ई–संख्या–180879/2024, दिनांक 09.01.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में यथाआवश्यकतानुसार अन्य दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

Signed by Raman Ravinath
Date: 15-01-2024 12:12:45

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या–82191/XXIV–B–1/24–31(02)/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाईल।

Signed by Prem Singh Rana
Date: 15-01-2024 12:18:17

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

Generated from eOffice by KAPIL GAUR, RO-SECONDARY EDU-1-KG, REVIEW OFFICER, Secondary Education Department on 15/01/2024 03:35 PM

सं0–287698/XXVII(10)/E-77990/2025

प्रेषक,

सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सचिव/सचिव(प्र0), उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमॉऊ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनॉक 01, ~~मार्च~~ अप्रैल, 2025

विषयः– राज्यान्तर्गत बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञानित कराना है कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–2 से 4 के मूल नियम–110 में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति में भेजे जाने संबंधी प्राविधान वर्णित हैं। राज्य गठन के पश्चात् इस सन्दर्भ में राज्यान्तर्गत स्पष्ट आदेश निर्गत नही हैं, अपितु पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–जी–1–176/दस–99–53(46)–76 टी.सी. लखनऊ, दिनॉक 16.03.1999 के प्राविधानानुसार बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावों को निस्तारित किया जा रहा हैं। उक्त शासनादेश के कम में प्रशासकीय विभागों द्वारा 03 वर्ष के उपरान्त प्रतिनियुक्ति अवधि को विस्तारित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जाते हैं। राज्यान्तर्गत प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु समायवधि के निर्धारण एवं तत्संबंधी प्रकरणों में प्रायः विविध कठिनाईयॉ दृष्टिगोचर हो रही हैं, तद्नुसार राज्यान्तर्गत इस हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने आवश्यक है।

2– अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यान्तर्गत प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं :–

1– परिभाषायें :–

क). बाह्य सेवा :– वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(7) के अनुसार बाह्य सेवा का अर्थ है वह सेवा, जिसमे कर्मचारी अपना मौलिक वेतन शासन की स्वीकृति से निम्नलिखित द्वारा प्राप्त करता हैं :–

(क).केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा रेलवे बोर्ड के राजस्वों के अतिरिक्त अन्य श्रोंतो से।

(ख). स्टेट रेलवे चलाने वाली कम्पनी से।

ख). प्रतिनियुक्ति :– जब किसी कार्मिक को कैडर के बाहर से या पदोन्नति की सीधी रेखा के बाहर से सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके

अंत में उसे अपने मूल कैडर में वापस लौटना होगा, तो उसे प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक अनुबंध पर जाना जाता है। प्रतिनियुक्ति शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिकों को नियुक्त किया जाता है।

ग). सेवा स्थानांतरण :– कार्मिक विभाग के निर्गत शासनादेश सं0–490 दि0 21, दिसम्बर, 2015 के द्वारा कार्यहित में उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत राज्य के भीतर राज्य के एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में किसी कार्मिक की तैनाती सेवा स्थानांतरण है न कि प्रतिनियुक्ति।

2– अर्हता :– किसी कार्मिक के मौलिक नियुक्ति के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत वह बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु अर्ह/पात्र होगा।

3– समायावधि :– बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु कार्यहित में सामान्य अवधि 03 वर्ष होगी, जिसे अग्रेत्तर 02 वर्षो हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही विस्तारित किया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी, जिसे किसी भी दशा में अग्रेत्तर विस्तारित नही किया जायेगा।

किसी कार्मिक द्वारा एक बार प्रतिनियुक्ति अवधि 03 वर्ष अथवा 02 वर्ष अथवा सम्पूर्ण 05 वर्ष, यथास्थिति पूर्ण करने के पश्चात् अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि कूलिंग पीरियड (Cooling off period) होगी, जिनके पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्मिक को आगे बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु उनके अनुरोध पर तैनात किये जाने हेतु यथाप्रकिया निर्णय लिया जायेगा। सम्पूर्ण सेवा काल में किसी भी कार्मिक को अधिकतम 02 बार ही बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अनुमन्य किया जा सकेगा।

जिन राजकीय विभागों में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु विभागीय ढॉचे में पद सृजित किये गये हैं, में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की सामान्य अधिकतम 5 वर्ष की सीमा के पश्चात् पैतृक विभाग, जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति की जानी है एवं संबंधित कार्मिक की सहमति होने पर उक्त समयावधि में वृद्धि किये जाने हेतु प्रस्ताव पर अनिवार्यतः निम्नवत् गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा :–

क्र0सं0	विवरण	पद
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्र0), कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव/सचिव(प्र0), वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव/सचिव(प्र0), उत्तराखण्ड शासन (कार्मिक के पैतृक विभाग)।	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव/सचिव(प्र0), उत्तराखण्ड शासन (जिस विभाग में कार्मिक को बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्त/सेवा स्थानांतरित करना है)।	सयोजक सदस्य

यद्यपि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects (EAPs)) में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की अधिकतम 5 वर्ष की सामान्य सीमा लागू नही होगी, तथापि उसका मध्यावधिक मूल्यांकन करने के पश्चात् पैतृक विभाग, जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति की जानी है एवं संबंधित कार्मिक की सहमति होने पर उसे अग्रेत्तर युक्ति-युक्त औचित्य के आधार विस्तारित किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4– सामान्य दिशा-निर्देश :–

1). बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु सामान्य 03 वर्ष की अवधि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा संबंधित कार्मिक के स्थायीकरण, उनके मूल विभाग की अनापत्ति, कार्मिक के विरूद्ध किसी प्रकार की न्यायिक, प्रशासनिक, अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित न होने संबंधी प्रमाण-पत्र आदि, सेवाभिलेखों का परीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा। उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन प्रदान की जायेगी कि विभागीय आवश्यकतानुसार संबंधित कार्मिक को उनके मूल विभाग में उक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है तथा तत्संबंधी आदेश निर्गत होने की तिथि से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

2). बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु सामान्य 03 वर्ष की अवधि के पश्चात् अग्रेत्तर 02 वर्ष की अवधि की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित प्रस्ताव उक्त अवधि पूर्ण होने के 01 माह पूर्व जिस संस्था में कार्मिक की आवश्यकता हैं, के सक्षम अधिकारी का मांग पत्र (आवश्यकता का औचित्य सहित), संबंधित कार्मिक के मूल विभाग की अनापत्ति, जिसमें इस आशय की स्पष्ट संस्तुति उल्लिखित हो कि संबंधित कार्मिक के यथास्थिति बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण, पर जाने में शासकीय कार्य प्रभावित नही होंगे, सहित प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिक की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त की स्वीकृति प्रदान नही की जाती है, तो संबंधित कार्मिक की उक्त अवधि स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं उन्हें तत्काल अपने मूल विभाग में योगदान किया जाना होगा।

बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत प्रस्तावों पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा।

3). बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि समाप्त होने के पश्चात् अनाधिकृत रूप से तैनात कार्मिकों के संबंध में कार्मिक विभाग के निर्गत शासनादेश सं0-4 जी0आई0, दि0 12, मार्च, 2007 के प्राविधानानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा उक्त अवधि नियमानुसार विस्तारित न होने की दशा में अवधि समापन की तिथि को वह स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। संबंधित नियंत्रक अधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर तैनात कार्मिक को उनकी उक्त अवधि के समाप्त होने की दशा में तत्काल कार्यमुक्त करें अन्यथा उनका उत्तरदायित्व स्वतः सिद्ध हो जायेगा।

4). बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर तैनात कार्मिक के मूल विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित रूप से इस आशय की समीक्षा की जायेगी कि कोई कार्मिक

अनाधिकृत रूप से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी संबंधित संस्थाओं में तैनात तो नही हैं। ऐसी दशा में उनके द्वारा भी संबंधित कार्मिक को पत्र प्रेषित कर विभाग में योगदान सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा, अन्यथा कि स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

5). जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्त में 05 वर्ष का समय अवशेष रह गया हो, ऐसे कार्मिकों को किसी भी दशा में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर तैनाती नही प्रदान की जायेगी और यदि कोई कार्मिक पूर्व से बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण पर तैनात हैं एवं उनकी सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष अवशेष रह गया हों, को अनिवार्य रूप से अपने मूल विभाग में योगदान कराया जाये एवं किसी भी दशा में ऐसे कार्मिको की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण अवधि विस्तारित नही की जायेगी।

6). कार्यहित में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण मुख्यतः 02 प्रकार के पदों के सापेक्ष किये जाते हैं, प्रथम प्रकार के पद पूर्णतः प्रतिनियुक्ति के पद होते है तथा द्वितीय प्रकार के पद नियमित पद होते हैं, जिनमें नियमित कार्मिकों की नियुक्ति होने तक की अवधि के लिये कार्य संचालन प्रतिनियुक्ति के माध्यम से किया जाता है।

उक्त दोनो पदों हेतु प्रक्रियानुसार बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कर कार्मिक की तैनाती की जाती है, जिसमें उक्त हेतु शर्ते/प्रतिबंध वर्णित होते हैं। उक्त शर्तो/प्रतिबंधों में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की अवधि का प्राविधान भी उल्लिखित होता हैं, किन्तु प्रायः उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् संस्थाओं द्वारा पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित नही की जाती, अपितु तैनात कार्मिक की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की अवधि को विस्तारित किये जाने की प्रक्रिया को अपनाया जाता हैं, जो उक्त पद पर अन्य पात्र कार्मिक की तैनाती के समानता के अवसर का हनन है। साथ ही विभागों द्वारा नियमित पदों पर ससमय नियुक्ति न करते हुए, प्रतिनियुक्त कार्मिक से ही शासकीय कार्य सम्पादित कराया जाता है, जिससे उक्त कार्मिक उक्त पद पर अनाधिकृत अवधि तक बना रहता है एवं उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित न होने के कारण उनके मूल विभाग के शासकीय कार्य भी प्रभावित होते है।

समस्त विभाग इस परिपाटी के स्थान पर बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण की अवधि को विस्तारित किये जाने की प्रक्रिया के विकल्प को अपनाये जाने से पूर्व प्रथम विकल्प के रूप मे समानता के अवसर के सिद्धान्त को लागू किये जाने के दृष्टिगत उक्त पद हेतु पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे अन्यथा की स्थिति में द्वितीय विकल्प के रूप में विस्तारीकरण के विकल्प को अपनायेंगे।

3— उपरोक्त दिशा—निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 01-04-2025 15:14:41

(डा0वी0षणमुगम)
सचिव

सं0–287698/XXVII(10)/E-77990/2025, तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2– निजी सचिव–मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Vijay Kumar
Date: 01-04-2025 15:38:48

(विजय कुमार)
संयुक्त सचिव

संख्या– 478 / XLI-B–1/25 / 06–सामान्य / 2022 / E-27797

प्रेषक,

सी0 रवि शंकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग — देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2025

विषय:–उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस, जेम (GeM) के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–922 / XLI-B-1 / 23 / 06–सामा0 / 2022 / E-27797, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई–मार्केटप्लेस "जेम" (GeM) के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित "रोजगार प्रयाग पोर्टल" के माध्यम से लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– आउटसोर्सिंग मैनपावर सम्बन्धी उक्त शासनादेश संख्या–922, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया / प्राविधानों के क्रम में विभागों द्वारा इंगित कतिपय कठिनाईयों के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या–922, दिनांक: 11 अगस्त, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए आउटसोर्सिंग मैनपावर के सम्बन्ध में रोजगार प्रयाग पोर्टल में निम्न प्रक्रियाओं का समावेश किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1)–आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती के सम्बन्ध में शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आधारित चयन; जनपदवार चयन; विशिष्ट पदों की आवश्यकता यथा जेण्डर आदि आधारित चयन एवं जनपद के अन्तर्गत प्रशासनिक ईकाई आधारित चयन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर निम्नलिखित फिल्टर (Filter) स्थापित किये जायेंगे:–

(i)–शासकीय विभाग द्वारा पद विशेष की आवश्यकतानुसार चयन किये जाने के लिए विज्ञापित पदों के सापेक्ष शासकीय विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता / विशिष्ट अर्हता के सम्बन्ध में मैरिट (शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि) आधारित चयन।

(II)–शासकीय विभाग की पद विशेष की आवश्यकतानुसार कार्मिकों की भर्ती जनपदवार किये जाने का विकल्प। इस हेतु अभ्यर्थियों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(III)–शासकीय विभाग द्वारा की गई माँग के अनुसार पद की विशिष्टियों के अनुरूप यथा जेण्डर आधारित, दिव्यांग कार्मिक आदि का विकल्प।

(IV)–शासकीय विभाग की आवश्यकतानुसार जनपदों के अन्तर्गत किसी प्रशासनिक इकाई यथा ब्लॉक/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत में निवासरत अभ्यर्थियों के चयन का विकल्प। इस हेतु अभ्यर्थियों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।

(2)–रोजगार प्रयाग पोर्टल में किसी फिल्टर (Filter) अथवा एक या एक से अधिक फिल्टर को शासकीय विभाग के अनुरोध पर खोला जायेगा। यदि शासकीय विभाग द्वारा फिल्टर खोले जाने का अनुरोध नहीं किया गया है, तो उक्त फिल्टर नहीं खोले जायेंगे। शासकीय विभाग द्वारा जितने फिल्टर खोले जाने का अनुरोध किया जायेगा, मात्र उतने ही फिल्टर खोले जायेंगे।

(3)–इस सम्बन्ध में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टरों (Filters) को Apply/Open करने की प्रक्रिया निम्नानुसार की जायेगी–

(I)–सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या सहित पद की आवश्यकतानुसार वांछित फिल्टर/फिल्टरों को Open करने हेतु ऑनलाईन अनुरोध किया जायेगा।

(II)–शासकीय विभाग का अनुरोध प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी द्वारा मॉग के अनुरूप फिल्टर/फिल्टरों को Open किया जायेगा, जिसे शासकीय विभाग द्वारा क्रॉस चेक करते हुए पुष्टि की जायेगी।

(III)–यदि शासकीय विभाग द्वारा यह पाया जाता है कि उसके द्वारा फिल्टर/फिल्टरों को खोले जाने सम्बन्धी अनुरोध एवं नोडल अधिकारी द्वारा Open किये गये फिल्टर में भिन्नता है, तो उसके द्वारा संशोधन हेतु नोडल अधिकारी से अनुरोध करते हुए वांछित फिल्टर को Open कराया जायेगा। शासकीय विभाग का यह समाधान होने पर कि उनके द्वारा मॉग के अनुरूप फिल्टर Open कर दिये गये हैं, शासकीय विभाग द्वारा उक्त फिल्टर/फिल्टरों को Lock किया जायेगा। एक बार फिल्टर Lock होने पर इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

(IV)–तत्पश्चात सेवाप्रदाता द्वारा पंजीयन कराये जाने के उपरान्त पोर्टल पर रिक्तियों को अपलोड किया जायेगा, जिसका सत्यापन शासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा।

(V)–शासकीय विभाग के अनुरोध पर Open किये गये फिल्टर/फिल्टरों के आधार पर उक्त अधिसूचना के क्रम में पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की रेण्डमाइज्ड सूची सेवाप्रदाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4)–सम्बन्धित शासकीय विभाग एवं सेवाप्रदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा निर्धारित मानकों एवं आवश्यक अर्हताओं से विपरीत चयन न किया जाय। चयन से पूर्व प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के परीक्षण (Screening) में यह संज्ञानित होने पर कि आवेदक द्वारा निर्धारित मानकों के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को चयन

से पृथक कर दिया जायेगा। यदि गलत तथ्यों के आधार पर किसी अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, तो सम्बन्धित शासकीय विभाग द्वारा सेवाप्रदाता के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। नियमानुसार चयन किया जाना सेवाप्रदाता एवं सम्बन्धित शासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(5)–शासनादेश संख्या–922, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 के प्रस्तर–3 में रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर स्थापित चयन प्रकिया को यथावत रखते हुए निम्नवत् संशोधनों को सम्मिलित किया जा रहा है:–

(I)–रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन प्रकिया को अधिकतम तीन बार में पूर्ण किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था के कम में प्रथम बार, अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों में से 03 गुना रेण्डमाइज्ड सूची उपलब्ध करायी जायेगी। जबकि द्वितीय एवं तृतीय बार क्रमशः 05 गुना एवं 10 गुना रेण्डमाइज्ड सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार किसी चरण में उपलब्ध करायी गयी रेण्डमाइज्ड सूची में से यदि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध/चयनित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले चरण (यथास्थिति द्वितीय/तृतीय बार) में रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन की कार्यवाही किये जाने से पूर्व, पूर्ववर्ती चरण में पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारणों सहित सेवाप्रदाता द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को आख्या प्रेषित की जायेगी। सेवाप्रदाता द्वारा प्रेषित उक्त आख्या पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही चयनित अभ्यर्थियों को अधिसूचित रिक्तियों से घटाते हुए अवशेष रिक्तियों की यथा अपेक्षित संख्या की रेण्डमाइज्ड सूची के आधार पर चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(II)–शासकीय विभाग द्वारा की गई माँग के अनुसार शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि आधारित चयन के सम्बन्ध में इस हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उपलब्ध फिल्टर (Filter) को Apply करते हुए शैक्षिक अंक, अनुभव एवं अन्य विशिष्ट अर्हता आदि के अवरोही कम (Descending order) में रेण्डमाइज्ड सूची सेवाप्रदाता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)–शासनादेश संख्या–922, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 के प्रस्तर–3 के बिन्दु सं0–22 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आउटसोर्स कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में 'राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा में आबद्ध करने हेतु उपलब्ध पदों पर आरक्षण सम्बन्धी' कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–92/XXX(2)/2021–3(15)/2012, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 में निहित प्राविधानों एवं इस सम्बन्ध में प्रचलित अन्य संगत नियमों को लागू किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शासकीय विभाग का होगा। विभागाध्यक्ष द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में आरक्षण से सम्बन्धित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(7)–पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट आवश्यकता/कठिनाई के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, न्याय विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य के रूप में

सम्मिलित होगें, के द्वारा यथा अपेक्षित निर्णय लिये जा सकेंगे। उक्तवत् समिति गठन के आदेश पृथक से किये जायेंगे।

3— उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0—922 / XLI-B-I / 23 / 06—सामा0 / 2022 / E-27797, दिनांकः 11 अगस्त, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

4— उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0—I/287237/2025, दिनांकः 29 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
C Ravi Shankar
Date: 30-03-2025 17:30:02
(सी0 रवि शंकर)
सचिव।

<u>**संख्या— 2780/ XLI—B—1/25 / 06—सामान्य / 2022 / E-27797, तद्दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निदेशक (प्रशिक्षण / सेवायोजन), प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल।

2— समस्त नोडल अधिकारी, रोजगार प्रयाग पोर्टल।

3— राष्ट्रीय सूचना—विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

4— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Ratan Lal
Date: 30-03-2025 17:38:36 **(रतन लाल)**
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4,
संख्या: 354 /XXIV–4 / 2025–10(10)2022
देहरादून : दिनांक : 17 मार्च, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में अग्रेत्तर परिष्कार करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (परिष्कार) विनियम, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम, 2025 होगा । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
अध्याय–बारह के विनियम 14 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 के अध्याय–बारह के विद्यमान विनियम 14(7)(ग) में "उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित है" में क्रमांक–9 के पश्चात निम्नलिखित क्रमांक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:– "10 कक्षा–10(हाईस्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित तीन वर्षीय पालिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की कक्षा–12 (इण्टरमीडिएट) उत्तीर्ण की समकक्षता होगी। "

Signed by
Ravinath Raman
Date: 17-03-2025 14:09:58

(रविनाथ रामन)
सचिव।

उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0वी0टी0), उत्तराखण्ड द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा में केवल हिन्दी विषय में व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

(iii) विनियम 14(7) ग "उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित हैं" में कमांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित कमांक जोड़ दिया जायेगा ; अर्थात :–

9. ऐसे छात्र–छात्राऐं जिन्होंने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस0सी0वी0टी0), उत्तराखण्ड द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत् परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद् की इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) के समकक्ष माना जायेगा।

नोट– आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0 आई0 के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।

अध्याय–चौदह के विनियम–2 का संशोधन

(3) मूल विनियम के अध्याय 14 के विनियम 2(ग) "उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित है" में कमांक 6 के पश्चात निम्नलिखित कमांक '7' जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:–

7. ऐसे छात्र–छात्राऐं जिन्होंने कक्षा 8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक

7169962/2023

प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०वी०टी०)द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस०सी०वी०टी०)उत्तराखण्ड द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा–10) के समकक्ष माना जायेगा।

नोट–आई०टी०आई० के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा 10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई०टी०आई० के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।

आज्ञा से,

Signed by Raman Ravinath
Date: 20-11-2023 18:06:32

(रविनाथ रामन)
सचिव।

/188599/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 188599/XXVII(7)/**ई–19943/2022**
देहरादून, दिनांकः 08 **फरवरी, 2024**

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला/पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किए जाने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 126942/XXVII(7)/ई–19943/2022 दिनांकः 01.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु सं0 viii को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

viii. "राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे/आहरित वेतन के समतुल्य 'अवकाश वेतन' देय होगा।"

2. शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 01.06.2023 को **आदेश** लागू होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 08-02-2024 11:33:28
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः188599/XXVII(7)/**ई–19943/2022,** तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायुं, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन व हकदारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
12. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 08-02-2024 11:38:24
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by SANDEEP KUMAR, RO-Finance Section 7 -SK, REVIEW OFFICER, Finance Department on 08/02/2024 11:56 AM

/195703/2024

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 663 /XXIV-B-1/24–32(02)/2011 TC
देहरादून : दिनांक : 04 मार्च, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) संशोधन सेवा नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 4 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4(1) इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा।	**4(1)** इस नियमावली के अधीन सामान्य एवं महिला शाखा में प्रत्येक मण्डल के लिए सेवा का एक संवर्ग होगाः परन्तु यह कि ऐसे सहायक अध्यापक एल0टी0, जिन्होंने अपने मूल संवर्ग (जिस संवर्ग में नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 5 (पांच) वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, को सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार शासन के अनुमोदनोपरान्त संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी। संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में शासन द्वारा SOP निर्गत की जायेगी।

नियम 8 का संशोधन **3.** उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2014 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 8 के उपनियम(1) के खण्ड (पांच) एवं (सात) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

क्रम	पदनाम	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(पांच)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (कला)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राईंग एवं पेन्टिंग / ड्राईंग डिजाइन / प्राविधिक कला / पेंटिंग (फाइन आर्ट) / पेन्टिग (visual Art) विषय में स्नातक की उपाधि। **टिप्पणी:–उपर्युक्त विषय स्नातक के सभी वर्ष / सेमेस्टर में होना अनिवार्य है।**	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेन्टिंग / फाइन आर्ट (पेंन्टिग) / Visual Art (पेंन्टिग) विषय में स्नातक की उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से बी0एड0 उपाधि।
		अथवा	**अथवा**
		राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बी0ए0एड0 की न्यूनतम चार वर्षीय उपाधि।
(सात)	सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका (संगीत)	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत (वादन अथवा गायन) विषय में स्नातक उपाधि। (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्विद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।
		अथवा	**अथवा**
		(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विशविद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विशविद्यालय से स्नातक उपाधि। (2) स्वर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत में

सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।	सीनियर डिप्लोमा या भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।
अथवा	**अथवा**
उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।	उत्तराखण्ड भातखण्डे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि।
अथवा	**अथवा**
प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से पांच वर्षीय संगीत प्रभाकर।	प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से छः वर्षीय संगीत प्रभाकर।

नियम–22 का संशोधन **4.** मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये नियम 22 के उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
22(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:	**22(4)** जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम–18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय कम में इस प्रकार कमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:
परन्तु यह कि–	**परन्तु यह कि–**
(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।	(1) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।	(2) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय कम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।
(3) जहां नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियक्तियां की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।	(3) जहां नियमों या विहित प्रकिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रकिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है और इस प्रकार कोटे से अधिक नियक्तियां की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी है।
(4) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके मण्डलीय संवर्ग की सम्बन्धित शाखा में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है।	(4) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उसके मण्डलीय संवर्ग की सम्बन्धित शाखा में निर्धारित की जायेगी, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है।
	(5) नियम–4(1) के अनुसार सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में नवीन संवर्ग में पदस्थापित शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन

संवर्ग में कनिष्ठतम होंगे।

परिशिष्ट का संशोधन **5.** मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1
विद्यमान परिशिष्ट

पद का नाम	वेतनमान
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	44900–142400 लेवल–7 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंकः–

(क) **परीक्षा–** परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के वहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगे :–

1. **भाग** एक –शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। – **100 अंक**

2. **भाग** दो– जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु। – **100 अंक**

स्तम्भ–2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

पदनाम	वेतनमान
सहायक अध्यापक / सहायक अध्यापिका	44900–142400 लेवल–7 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए अंकः–

(क) **परीक्षा–** परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के वहुविकल्पीय प्रश्नों, पर आधारित होगी। परीक्षा प्रश्न–पत्र के निम्न दो भाग होंगेः–

1. **भाग एक** – शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान – **50 अंक**

2. **भाग दो** – जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु – **50 अंक**

आज्ञा से,

Signed by Raman Ravinath
Date: 04-03-2024 18:45:12

(रविनाथ रामन)
सचिव

In pursuance of the provision of Clause(3) of Article 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. /XXIV-/B-1/19-32(02)2011-TC , dated February , 2024 for general information:

Government of Uttarakhand
Secondary Education Department
No.663 /XXIV-/B-1/24-32(02)2011-TC
Dehradun: Dated 04 March, 2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Category) Service Rules, 2014(as amended from time to time):-

Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Category)

(Amendment) Service Rules, 2024

Short title and 1. Commencement

(1) These Rules may be called the "Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Category) (Amendment) Service Rules, 2024,
(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 4 **2** In the 'Uttarakhand Subordinate Education (Trained Graduate Category) Service Rules, 2014 (hereinafter referred to as principal rules), for the existing sub rule (1) of rule 4 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule hereby substituted
4(1) There shall be one cadre of general and women branch in every mandal under this rules.	4(1) There shall be one cadre of general and women branch in every mandal under this rules: Provided that those assistant teacher LT, who have completed 5 years of satisfactory service in their parent cadre (the cadre in which they are appointed), shall,

after the approval of Government, get onetime benefit of mandal/cadre change in entire service period. The Government shall lay down the SOP regarding the procedure to be followed for the mandal/cadre change.

Amendment of rule 8
2.

In the principal rules, for the existing clause (five) and (seven) of sub rule (1) of rule 8 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

S.N	Name of Post	Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule hereby substituted
(Five)	Assistant Teacher/ Assistant Teacher, Women (Arts)	(1) Graduate degree in Drawing and Painting/Drawing design/Technical Art/Painting (Fine Art)/Painting (Visual Art) from any University established by the law in India. **Note:-The above subject is compulsory in all years/semester of graduation** Or Degree of BA.Ed of minimum four years in the subject of Arts from any institution recognized from National Teachers Education Council.	(1) Graduate degree in Drawing and Painting/ Fine Art (Painting)/Visual Art(Painting) from any University established by the law in India. (2) Degree of B.Ed from any Government or Government recognized training institution/college Or Degree of BA.Ed of minimum four years in the subjects of Arts from any institution recognized from National Teachers Education Council.
(Seven)	Assistant Teacher/ Assistant Teacher, Women (Music)	(1) Graduate degree in (Playing or Singing) from any University established by the law in India. (2) LT diploma from any Government or government recognized training institute/University or B.Ed degree from any University established by the law in India. Or (1) B.Ed degree from any University established by the law in India. (2) Senior diploma in music (Vocal and instrument) from Allahabad University or degree of Sangeet Visharad from Bhatkhande Music	(1) Graduate degree in (Playing or Singing) from any University established by the law in India. (2) LT diploma from any Government or government recognized training institute/University or B.Ed degree from any University established by the law in India. Or (1) B.Ed degree from any University established by the law in India. (2) Senior diploma in music (Vocal and instrument) from Allahabad University or degree of Sangeet Visharad from Bhatkhande Music Mahavidhalaya. Or

Mahavidhalaya. Or Degree of Sangeet Visharad from Uttarakhand Bhatkhande Music Mahavidhalaya. Or Five year Sangeet Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti Allahabad.	Degree of Sangeet Visharad from Uttarakhand Bhatkhande Music Mahavidhalaya. Or Six year Sangeet Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti Allahabad.

Amendment of rule 22

3 In the principal rules, for the existing sub rule (4) of rule 22 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule hereby substituted**
22(4) Where appointments are made by both promotion and direct recruitment or by more than one source and separate quotas for the sources are prescribed, then the inter-se seniority shall be determined in accordance with the combined list prepared under rule-18, by arranging the names in cyclic order in such a way that the prescribed percentage is maintained;	22(4) Where appointments are made by both promotion and direct recruitment or by more than one source and separate quotas for the sources are prescribed, then the inter-se seniority shall be determined in accordance with the combined list prepared under rule-18, by arranging the names in cyclic order in such a way that the prescribed percentage is maintained;
Provided that -	Provided that -
(1) Where appointments are made from any source in excess of the prescribed quota, the seniority of persons appointed in excess of the quota shall be reduced in the subsequent year or years in which there are vacancies as per the quota.	(1) Where appointments are made from any source in excess of the prescribed quota, the seniority of persons appointed in excess of the quota shall be reduced in the subsequent year or years in which there are vacancies as per the quota.
(2) Where appointments from any source	(2) Where appointments from any source are made less than the prescribed quota

are made less than the prescribed quota and appointments against such vacant posts are made in the subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority from any previous year but will get the seniority of the year in which they are appointed. However, in the combined list of that year (the list prepared under this rule) his name shall be placed at the top of the names of other appointed persons in cyclic order.

(3) Where the vacancies to be filled from one source in accordance with the rules or prescribed procedure are filled from some other source in the circumstances specified in the relevant rules or procedure and appointments are thus made in excess of the quota, the person so appointed will get the seniority of the same year, as if his appointment has been made against the vacancies in his quota.

(4) The seniority of a person shall be determined in the relevant branch of his mandal/cadre in which he has been appointed.

and appointments against such vacant posts are made in the subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority from any previous year but will get the seniority of the year in which they are appointed. However, in the combined list of that year (the list prepared under this rule) his name shall be placed at the top of the names of other appointed persons in cyclic order.

(3) Where the vacancies to be filled from one source in accordance with the rules or prescribed procedure are filled from some other source in the circumstances specified in the relevant rules or procedure and appointments are thus made in excess of the quota, the person so appointed will get the seniority of the same year, as if his appointment has been made against the vacancies in his quota.

(4) The seniority of a person shall be determined in the relevant branch of his mandal/cadre in which he has been appointed:

Provided that in case of change of Mandal/cadre of Assistant Teacher LT in accordance with Rule 4(1), the teacher posted to the new mandal/cadre shall be junior most in his new cadre from the date of joining.

Amendment of Appendix- (A)

In the principal rules, for the existing Appendix set out in Column-1 below, the Appendix as set out in Column-2 shall

be substituted, namely:-

Column-1
Existing Appendix-(A)

Name of Post	Pay Scale
Assistant Teacher/ Assistant Teacher, Women	44900-142400 (Trained Graduate Category)

Marks for selection by direct recruitment: (a) Examination: Examination shall be based on objective type of questions. There shall be following two parts of examination paper :-

1- Part (i) :- Academic aptitudes, reasoning test and general knowledge- 100 marks.

2- part (ii) :- For efficiency test of such subjects, for the post of Assistant Teacher of which subject is to be applied - 100 marks.

Column-2
Appendix-(A) hereby subsituted

Name of Post	Pay Scale
Assistant Teacher/ Assistant Teacher, Women	44900-142400 (Trained Graduate Category)

Marks for selection by direct recruitment: (a) Examination: Examination shall be based on objective type of questions. There shall be following two parts of examination paper :-

1- Part (i) :- Academic aptitudes, reasoning test and general knowledge- 50 marks.

2- Part (ii) :- For efficiency test of such subjects, for the post of Assistant Teacher of which subject is to be applied - 50 marks.

Signed by Raman Ravinath
Date: 04-03-2024 18:44:38

By order,

Ravinath Raman
Secretary

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः– – /VIII-1/24–228(श्रम)/2001–पार्ट–II
देहरादून, दिनांकः 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या–11 सन् 1948) की धारा–4 की उपधारा(1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा–3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 324/VIII /19–228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में–

(क) मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा संचालित किसी मदरसा जहां विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जा रही है या नाम मात्र की फीस ली जा रही है, (ख) किसी धार्मिक या दातव्य संस्था द्वारा संचालित किसी प्राइवेट विद्यालय जहां विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जा रही है या नाम मात्र की फीस ली जा रही है, (ग) उत्तराखण्ड बाल कल्याण परिषद् द्वारा संचालित किसी बाल बाड़ी, और (घ) मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट विद्यालय जिसे सरकार से सहायता मिल रही है, से भिन्न, उत्तराखण्ड में प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राविधिक संस्थायें भी सम्मिलित है, के नियोजन में नियोजित अशैक्षणिक वयस्क कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों का पुनरीक्षण और निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (रूपये प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)
1	चपरासी, रिक्शा चालक, माली, क्लीनर, बेलदार, मसालची, आया, बैरा, केयर टेकर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	12391
2	दफ्तरी, राजगीर, रसोइया या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	12763
3	बस/ट्रक ड्राईवर, बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लैब असिस्टेन्ट, टेलर, नर्स, कम्पाउन्डर, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	13110
4	लिपिक/टंकक– (क) इण्टरमीडियेट तक शिक्षा प्राप्त (ख) स्नातक या उच्च शिक्षा प्राप्त	 13396 13675
5	लाईब्रेरियन/कैशियर या इसी प्रकार का कार्य करने वाला अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।	13960
6	लेखाकार– (क) कनिष्ठ (ख) ज्येष्ठ जो कम से कम बी0कॉम0 हो और साथ ही पांच वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव हो।	 14254 14819

/1

नोट– किसी संस्था पर इस अधिसूचना के उपबन्धों के लागू होने में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका विनिश्चय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम और सबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

1– विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।

2– **परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:**– अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3– मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4– घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5– ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6– मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7– जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8– ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा–13 की उपधारा–(1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9– यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

क्रमशः........................(3)

10— किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्याः–301(1)/VIII/24–228(श्रम)/2001–पार्ट–II, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा॰ मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा॰ श्रम मंत्री, को मा॰ श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अपर सचिव।

संख्या–194984 /XXIV–2–2024–27(02)/2022

.94984/2024

प्रेषक,

विकास कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा–3/सेवा

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 01 ~~फरवरी~~ मार्च, 2024

विषयः– मृतक आश्रित प्रकरणों में दिशा–निर्देश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सेवायें–3/18/15850, दिनांक 10.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मृतक आश्रित प्रकरणों के संबंध में शासन के पत्र संख्या–135239, दिनांक 05.07.2023 के क्रम में उक्त प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में परामर्श/निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– विषयगत प्रकरण के संबंध में शासन के उक्त पत्र दिनांक 05.07.2023 के द्वारा उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के नियम–5(1) का उल्लेख करते हुये मृतक आश्रितों के सेवायोजन संबंधी प्रकरणों को उक्त नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार निस्तारित किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

3– तत्क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मृतक आश्रितों के सेवायोजन संबंधी प्रकरणों में मृत सरकारी सेवक का पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के सेवायोजित न होने पर ही उक्त नियमावली में विहित प्राविधानानुसार कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को सेवायोजन प्रदान किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त नियमावली द्वारा मृत सरकारी सेवक का पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के सेवायोजित न होने तथा कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के सेवायोजित होने पर मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के दूसरे सदस्य को उक्त नियमावली में विहित प्राविधानों के अधीन सेवायोजन प्रदान किये जाने से वंचित नहीं किया गया है।

4– अतः उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2024 में किये गये अनुरोध के क्रम में उक्तानुसार अवगत कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक आश्रित प्रकरणों को उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के अनुसार निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Vikash Kumar
Srivastava
Date: 01-03-2024 12:22:18

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्याः 107 /XXIV-B-3/25/92538

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांकः 20 जनवरी, 2026

विषयः– माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' संचालित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्याः विविध(08)/10291/ऑन0ला0–कोचिंग /2025–26, दिनांकः 04.12.2025 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–122/2025, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को परीक्षाओं की तैयारी एवं रोजगारपरक कौशल विकास हेतु आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण के संबंध में नीति तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जायेगी" के क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभागान्तर्गत संलग्न परिशिष्ट–अ के अनुसार 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' नाम से संचालित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. प्रतियोगी परीक्षाओं का चयन इस प्रकार से किया जाय, कि अधिक से अधिक छात्र योजना से लाभान्वित हो सकें।
2. प्रत्येक परीक्षा (CLAT, NEET, JEE आदि) हेतु कोचिंग संस्थानों का चुनाव मितव्ययता तथा संस्थान की गुणवत्ता के आधार पर किया जाय। इस संबंध में योग्यता मानदंड इस प्रकार से बनाये जायेंगे कि कम से कम 3–5 प्रसिद्ध संस्थान तकनीकी स्तर पर योग्यता मानदंड पूर्ण करते हों।
3. कोचिंग संस्थान को भुगतान की प्रणाली स्पष्ट एवं पारदर्शी (कोचिंग संस्थान के प्रदर्शन, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति, प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन आदि के आधार पर) होनी चाहिए।
4. कोचिंग सुविधा हेतु छात्र–छात्राओं के चयन की प्रणाली स्पष्ट एवं पारदर्शी होनी चाहिए।
5. योजना हेतु विद्यार्थियों का चयन खुली स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा।
6. योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार हो, कि योजना हेतु प्रतिवर्ष कुल व्ययभार रू0 7.00 करोड़ के अंतर्गत हो। भविष्य में योजनान्तर्गत छात्रों की संख्या बढ़ने पर तदनुसार बजट बढ़ाये जाने हेतु नियमान्तर्गत प्रस्ताव शासन को

उपलब्ध कराया जायेगा।

7. योजना के संचालन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति गठित की जायेगीः—

मुख्य चिव	—	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ चिव, मा0 मुख्यमंत्री	—	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ चिव, विद्यालयी शिक्षा	—	दस्य सचिव
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ चिव, सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	—	सदस्य

8. योजना के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यकारिणी मिति गठित की जायेगीः—

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ चिव विद्यालयी शिक्षा	—	अध्यक्ष
अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा	—	सदस्य
अपर सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	—	दस्य सचिव

9. चयनित छात्रों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों ` नियमित रूप ` की जायेगी जि में राज्य के साथ ही जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होंगे ताकि छात्रों की प्रगति की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। इस हेतु पृथक से डैशबोर्ड तैयार किया जायेगा जो कि विद्या समीक्षा केन्द्र से जोडा जायेगा।

10. राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर योजना के संचालन हेतु कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। इन मितियों द्वारा सम्बन्धित स्तर से यादृच्छिक (Random) रूप से निरीक्षण/परीक्षण किया जायेगा।

2— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3, की कम्प्यूटर जनित क्रमांक I/362383/2026, दिनांक 16.01.2026 से प्राप्त उनकी हमति/परामर्श से निर्गत किये जा रहे हैं।

ंलग्न :यथोक्त।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

ंख्याः 107 /XXIV-B-3/26/92538 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी चिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. अपर सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड चिवालय।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 20-01-2026
15:10:32

परिशिष्ट–अ

"मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना"

1. योजना :–

राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत छात्र, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल एवं इंजिनियरिंग (NEET/JEE), Common Law Admission Test- CLAT, एस0एस0सी0 आदि में भाग लेना चाहते है, हेतु निःशुल्क ऑन लाईन कोचिंग हेतु उक्त योजना प्रस्तावित की गयी है।

2. प्रस्तावित योजना का संचालन :–

1. स्क्रीनिंग (Screening):–योजना हेतु छात्र–छात्राओं का चयन खुली स्क्रीनिंग परीक्षा (Online) के माध्यम से किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा कक्षा 10 उत्तीर्ण एवं कक्षा 11 में अध्ययनरत एवं कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रों के लिए आयोजित की जायेगी।
2. छात्र–छात्राओं का चयन स्क्रीनिंग परीक्षा में प्रदर्शन और पात्रता मापदंड की पूर्ति के आधार पर जनपदवार किया जाएगा।
3. उक्त कोचिंग सुविधा राष्ट्रीय स्तर की किसी अनुभवी संस्थान के माध्यम से प्रदान की जायेगी, जिनका चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। प्रदेश में अवस्थित राजकीय विद्यालयों के लिए ऑनलाइन माध्यम से छात्रों को कोचिंग प्रदान की जायेगी। ऑनलाइन माध्यम से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों द्वारा पाठ्यवस्तु पढ़ाई जायेगी। अध्ययन सामग्री, ऑनलाइन वीडियो, प्रैक्टिस पेपर चयनित संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
4. डिजिटल उपकरण हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे–
   a. छात्र–छात्राओं द्वारा स्वयं का डिजिटल उपकरण उपयोग किया जा सकता है।
   b. शिक्षण संस्थान के आई0टी0 लैब के डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।
   c. छात्र–छात्राओं को कोर्स की अवधि में डिजिटल उपकरण विद्यालय द्वारा उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. चयनित संस्थान द्वारा योजना की मॉनिटरिंग हेतु कॉर्डिनेटर एवं काउन्सलर की नियुक्ति की जायेगी, जो जनपदवार छात्र–छात्राओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं उनकी काउन्सिलिंग करेंगे।
6. यदि किसी छात्र–छात्रा की उपस्थिति नियमित न होने या प्रदर्शन संतोषजनक न होने की दशा में उसे योजना से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके स्थान पर अन्य किसी छात्र–छात्रा को लाभान्वित किया जायेगा।

3. योजना के संचालन हेतु राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति :–

...uk.gov.in/efile/...pdf.js-1.7.76-...

मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री	–	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा	–	सदस्य सचिव
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	–	सदस्य

राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के निम्नलिखित कर्तव्य/दायित्व होंगे–

1. कार्यकारिणी समिति द्वारा दिये गये विस्तृत एवं सुविचारित प्रस्ताव/प्रस्तुतीकरण का **वार्षिक मूल्यांकन** राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति द्वारा किया जायेगा।
2. स्टेयरिंग समिति कार्यकारिणी समिति के द्वारा लिये गये निर्णयों का मूल्यांकन करते हुए योजना को अधिक कारगर एवं सफल बनाने हेतु मार्गदर्शन तथा सलाह प्रदान करेगी।
3. स्टेयरिंग समिति द्वारा कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर भविष्य में कोचिंग हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की संख्या को घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
4. स्टेयरिंग समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आहूत की जायेगी।
5. स्टेयरिंग समिति कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर चयनित संस्थान को बनाये रखने अथवा बदलने सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगी।
6. चयनित संस्थान द्वारा प्रस्तुत वार्षिक व्यय का स्टेयरिंग समिति मूल्यांकन कर व्यय को बढ़ाने एवं घटाने पर दिशा–निर्देश प्रदान करेगी।

4. योजना के संचालन हेतु कार्यकारिणी समिति :–

योजना के संचालन हेतु कार्यकारिणी समिति निम्नानुसार होगी–

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव विद्यालयी शिक्षा	–	अध्यक्ष
अपर सचिव, विद्यालयी शिक्षा	–	सदस्य
अपर सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	–	सदस्य सचिव

कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य/दायित्व होंगे–

1. समिति नीति निर्धारण करते हुए कोचिंग सम्बन्धी योजनाओं के संचालन हेतु दिशा–निर्देश जारी करेगी।
2. वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने एवं बजट के प्राविधान एवं प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु निर्णय लेगी।
3. कार्यकारिणी समिति की बैठक कोचिंग प्रारम्भ होने के उपरान्त प्रतिवर्ष 03 माह के भीतर बैठक कर चयनित संस्था/कार्यालयरत अध्यापकों एवं छात्र–छात्राओं के फीडबैक के आधार पर योजना का मूल्यांकन करेगी।
4. कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी वार्षिक आख्या राज्य स्तरीय स्टेयरिंग समिति के सम्मुख

सदस्य सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

5. कार्यकारिणी समिति योजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा यथावत बनाये रखने हेतु आख्या राज्य स्टेयरिंग समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से प्रस्तुत करेगी।

5. **भुगतान के मानक :–**सम्बन्धित कोचिंग एजेन्सी/संस्थान को भुगतान 03 भागों में किया जायेगा–

- एकमुश्त भुगतान।
- छात्रों की उपस्थिति के आधार पर।
- छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर।

6. **योजना हेतु डिजिटल कोचिंग प्लेटफॉर्म की विशेषतायें :–**

- **लाइव क्लास–** चयनित कोचिंग संस्थाओं द्वारा लक्षित छात्रों को लाइव क्लास की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **लर्निंग टूल्स–**AI–आधारित संदेह समाधान (Doubt Clearance), रीयल–टाइम प्रदर्शन विश्लेषण, अनुकूल मूल्यांकन।
- **यूज़र एक्सेस–** प्रत्येक छात्र के लिए सुरक्षित लॉगिन (डेस्कटॉप, टैबलेट, या मोबाइल ऐप के माध्यम से)।
- **लर्निंग संसाधन–** बहुभाषी अध्ययन सामग्री (अंग्रेजी, हिंदी, हिंग्लिश), डाउनलोड करने योग्य नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो।
- **ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग–**छात्रों की उपस्थिति, परीक्षा स्कोर, वीडियो की उपलब्धता और प्रगति ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड।
- **सपोर्ट सिस्टम–**प्रत्येक छात्र हेतु साप्ताहिक मेंटर सत्र, सामूहिक वार्तालाप, परामर्श और वर्षवार तैयारी ट्रैकिंग।
- **मेन्टरिंग–** कोचिंग संस्थानों द्वारा छात्रों को नियमित रूप से मेन्टरिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।

---

* * *

Digitally signed by
Vikash Kumar Srivastava
Date: 20-01-2026
16:40:18

संख्या-250679/XXIV-B-1/24-07(09)2016

प्रेषक,

रविनाथ रामन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषय–राज्याधीन सेवाओं में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण हेतु दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक : सेवायें–1/23965, दिनांक 10 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या–232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार प्रदान किया जाना है अथवा चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या–113, दिनांक 16 अगस्त, 2019 में प्राविधानित जनपद पर गठित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के आधार पर, के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

02– अवगत कराया जाना है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–193548/XXX(2)/2024–E 61441, दिनांक 26 फरवरी, 2024 में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान है :–

"दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य संबंधित श्रेणी की दिव्यांगता का मूल्यांकन

करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए"।

03– अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 26.02.2024 एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–113, दिनांक 16 अगस्त, 2019 में निहित प्रावधानों एवं के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Ravinath Raman
Date: 29-10-2024 12:58:52

(रविनाथ रामन)
सचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1/362829/ XXVII(7)/E-97816/2026

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग/विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2. महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 देहरादूनः दिनांक 20 जनवरी, 2026

विषयः-राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का राजकीय इण्टर कॉलेजों में उच्चीकरण किये जाने एवं उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु पद सृजित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेजों में उच्चीकरण किये जाने के क्रम में संबंधित विद्यालयों में पद सृजन एवं उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालय की स्थापना एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारम्भ किये जाने हेतु पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को बड़ी मात्रा में प्रेषित किये जाते रहे हैं।

2- वित्त विभाग में प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षणरोपरान्त यह संज्ञान में आया है कि पूर्व से संचालित विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत पद कई स्थानों पर रिक्त पाये गये तथा अनेक स्थानों पर छात्र संख्या मानक से अत्यन्त न्यून अथवा शून्य पायी गयी है। साथ ही यह भी देखा गया है कि विभिन्न स्तरों पर मानकों से अधिक पद सृजित हैं। इस प्रकार ऐसे विद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या मानक से अत्यधिक न्यून होने के कारण इन विद्यालयों/महाविद्यालयों में पूर्व से सृजित पदों के पुनर्परीक्षण की आवश्यकता है। यदि विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/उच्चीकरण के नवीन प्रस्ताव गठित किये जाने है तो राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों के बेहतर उपयोग/प्रबन्धन की आवश्यकता के दृष्टिगत ऐसे विद्यालयों/महाविद्यालयों के पदों को, जहां छात्र संख्या मानक से कम है, को इन विद्यालयों/महाविद्यालयों हेतु स्थानान्तरित किये जाने की

आवश्यकता है।

3— अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पूर्व संचालित महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम संचालित किये जाने तथा स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किये जाने एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का इण्टरमीडिएट कॉलेजों में उच्चीकरण किये जाने हेतु वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्तावों का उपरोक्त प्रस्तर—02 के आलोक में परीक्षण करते हुए पूर्व से विषयवार स्वीकृत पदों की संख्या एवं स्वीकृत पद के सापेक्ष भरे/रिक्त पदों की सूचना एवं छात्र संख्या का स्पष्ट विवरण तालिका में अनिवार्य रूप से अंकित करते हुए ऐसे उच्चीकरण/नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्तावों में पूर्व सृजित पदों (जो वर्तमान में मानक से अधिक हो गये हैं) को स्थानान्तरित किये जाने संबंधी विकल्प भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 18-01-2026
17:07:01

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

संख्या—I/362829/ XXVII(7)/E-97816/2026 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक, शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 19-01-2026
14:42:58

(गंगा प्रसाद)

अपर सचिव।

ई-14L+50
12/12

संख्या : 2/33 /XXIV-B-1/24-02(02)/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

उप निदेशक (नियो.

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तरा.
देहरादून

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2024

विषयः-राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में पदों के सृजन हेतु मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक/नियोजन/33897/पद सृजन/2022-23, दिनांक 06.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में पदों के सृजन हेतु मानक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में हाईस्कूल स्तर पर एवं इण्टर स्तर पर उच्चीकृत होने वाले विद्यालयों में निम्न विवरणानुसार पदों के सृजन हेतु मानक निर्धारित किये जाते हैं:-

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

क्र.सं.	विषय	संख्या
01	हिन्दी	01
02	एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू, पंजाबी, बंगाली, आदि) अथवा अंग्रेजी अथवा संस्कृत	01
03	गणित/गृह विज्ञान	02
04	विज्ञान	01
05	सामाजिक विज्ञान	01
06	कला शिक्षा	01
07	एक आधुनिक भारतीय भाषा, जो अनिवार्य विषय के रूप में क्र.सं. 02 के रूप में नहीं लिया गया है अथवा ऐसा विषय जिसे अधिक से अधिक छात्र-छात्रा लेने के इच्छुक हों, छात्र संख्या के आधार पर।	01
	योग-	08

राजकीय इण्टर कालेज

क. सं.	वर्ग	विषय	कॉलम (3) में अंकित विषयों के अतिरिक्त विषय खोलने के मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रथम अनिवार्य विषय	हिन्दी/अंग्रेजी	02
2	मानविकी वर्ग	मानविकी वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत विषयों में से	03
3	विज्ञान वर्ग	भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान/गणित	04
4	अतिरिक्त विषय	कृषि वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों से 01 विषय अथवा अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/बंगाली/ नेपाली में से कोई एक विषय जो प्रथम विषय के रूप में न लिया गया हो अथवा ऐसा विषय जिसे अधिक से	01

		अधिक छात्र–छात्रा लेने के इच्छुक हों, छात्र संख्या के आधार पर।	
		योग–	10

3– विद्यालय द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर पर किसी वर्ग/पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किये जाने हेतु जिस वर्ग/वि के लिए पद के सृजन की मांग की जायेगी, उस वर्ग/विषय में न्यूनतम 20 छात्र/छात्रायें अध्ययन लिये उपलब्ध होने की संभावना होनी चाहिए।

4– उक्त के अतिरिक्त पदों की मांग हेतु विद्यालय न्यूनतम 03 वर्ष से संचालित होना चाहिए।

5– जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल में उच्चीकृत किये जाने वाले विद्यालय में जूनियर हाईस्कूल में पूर्व सृि पदों का अन्यत्र विद्यालयों में समायोजन किय. जायेगा।

6– विद्यालय की 10 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत किसी अन्य विद्यालय में कोई विशेष विषय संचालित न है तो ऐसी स्थिति में छात्र–छात्राओं की सुविधा के लिये पद/पदों के सृजन का प्रस्ताव विद्यालय द्व किया जा सकता है।

7– नवीन विषय के पठन–पाठन हेतु विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध होना चाहिए, यदि अतिरि कक्षा–कक्ष उपलब्ध नहीं है तो कक्षा–कक्ष निर्माण के लिये विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्ध होनी चाहि

8– नये राजकीय हाईस्कूल खोलने तथा जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण एवं नये राजकीय इण्टर काले खोलने/राजकीय हाईस्कूल के इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण किये जाने हेतु स्थापित मानकों आधार पर प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण करते हुए पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव वित्त विभाग उपलब्ध कराया जायेगा।

9– राजकीय हाईस्कूल खोले जाने तथा नये इण्टर कालेज खोले जाने/उच्चीकरण मानक सम्बन्धी कार्याद ज्ञाप संख्या–179/अ0मु0स0/व0प्र0नि0स0/2016, दिनांक 04.10.2016 को उक्त सीमा तक संशोधि समझा जाये।

यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग–7) के कम्प्यूटर जेनरेटड सं0–I/257853, दिनांक 02.12.2024 उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ravinath Raman
Date: 05-12-2024 15:01:33

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या–2/33 (1)/XXIV–B–1 /24/02(02)/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
9. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
10. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
11. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
14. माध्यमिक शिक्ष अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
15. अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–04, (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Anil Kumar Pandey
Date: 09-12-2024 10:05:0

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

/181648/2024

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
इण्डेक्स न. 1909
दिनाँक 16.01.2024

संख्या–181648/XXIV-B-1/23-09(02)2022

प्रेषक,

अनिल कुमार पाण्डे
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून
16/1/24

श्री मैठाणी जी
CAO
18/01/2024
AAO

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक// जनवरी, 2024

विषय– तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने, विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन का पुनर्निधारण किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–अर्थ 5(क)/326/02/अ0अनु0तदर्थ नि0/2021–22, दिनांक 06.04.2022 एवं पत्रांक–अर्थ 5(क)/18501/13/तदर्थ नि0/2023–24, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय स्तर पर कतिपय विसंगतियां उत्पन्न होने एवं प्रकरणों का निस्तारण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न होने के दृष्टिगत तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने व विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन पुननिर्धारित किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना हेतु किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

02– उक्त के क्रम में अवगत कराया जाना है कि वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–210/दस–83–सं0–व्य0(सा0)–82 दिनांक 04 फरवरी, 1983 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में निम्न व्यवस्था है :–

"नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तो के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिए अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को 'नियमित सेवा' नहीं माना जायेगा और 'नियमित सेवा' की अवधि का आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिसके आधार पर किसी कर्मचारी को अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की गयी हो......।

शिक्षा अनुभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–1558 दिनांक 18 अक्टूबर, 1997 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि पेंशन के पात्र वही शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे जो नियमित रूप से चयनित हों तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हों। तदर्थ सेवायें पेंशन हेतु नहीं जोडी जायेंगी।

उक्त के अतिरिक्त "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018" के नियम–1(2) (ख) तथा नियम–4 में पेंशन की अर्हता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

कृपया तदनुसार संगत नियमों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by Anil Kumar Pandey
Date: 11-01-2024 16:47:21
(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

संख्या— /VI-4/2024—61(10)12 (CP No-70028)

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : जून, 2024

विषय :— प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के मानदेय में रू0 80.00 प्रतिदिन वृद्धि करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—I/15117/2021 दिनांक 02.12.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त् मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों/संस्थानों आदि में तैनात प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के मानदेय में तात्कालिक प्रभाव से रू0 80/— प्रतिदिन की वृद्धि करते हुए पूर्व निर्धारित मानदेय रू0 570/— (रूपये पाँच सौ सत्तर मात्र) प्रतिदिन के स्थान पर रू0 650/— (रुपये छः सौ पचास मात्र) प्रतिदिन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की तैनाती के सम्बन्ध में पूर्व निर्धारित अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

3. पुनरीक्षित दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग—7) के कम्प्यूटरजनित कमांक—I/218946/2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

Signed by Amit Kumar Sinha
Date: 26-06-2024 10:52:46

भवदीय,

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या /VI-4/2024—61(10)12 (CP No-70028), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Dhirendra Kumar Singh
Date: 26-06-2024 11:00:16

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव

195709/2024

SE5-1/1.1/1/2022-XXIV-B-5-Secondary Education Department

निदेशालय : माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
इण्डेक्स न. 1412
दिनांक 17/03/24

संख्या- 195709/XXIV-5/24-01(03)/2017

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

पुस्तकालय

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय-उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
12/3/24

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5 देहरादून : दिनांक 11 ~~फरवरी~~ मार्च, 2024

विषय- राज्य स्तरीय पुस्तकालय के ढाँचे के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-पुस्तकालय/18806/ढॉचा/2023-24 दिनांक 15.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राज्य स्तरीय पुस्तकालय के ढॉचे के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- तदक्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-890/XXIV- नवसृजित/2018-25(05)/2017 दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के द्वारा राज्य स्तरीय पुस्तकालय के संचालन हेतु ढॉचे के गठन के संबंध में पूर्व से आस्थागित- 222 पदों में से 05 पदों को निम्नानुसार समायोजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	भर्ती का स्रोत
1	पुस्तकालाध्यक्ष ग्रेड-4	56100-177500 (लेवल-10)	01	पदोन्नति
2	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	35400-112400 (लेवल-06)	01	सीधी भर्ती
3	सहायक कम कैटलॉगर	21700-69100 (लेवल-03)	01	सीधी भर्ती
4	अनुचर/सफाई कर्मी एवं रात्रि चौकीदार/	नियत मानदेय ₹12000 (सर्विस चार्ज + जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	02	आउटसोर्स
	कुल पद		05	

3- उक्तानुसार आउटसोर्स के माध्यम से सृजित पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के आदेश सं0- 111 दिनांक: 27.04.2018, संख्या-166806 दिनांक 6.11.2023 एवं कौशल विकास विभाग के आदेश संख्या-922 दिनांक 11.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- शासनादेश दिनांक 15.11.2018 में उल्लिखित 'बी' श्रेणी के विद्यालयों हेतु आस्थगित रखे गए 222 पदों के सापेक्ष 05 पदों (प्रधानाध्यापक का 01 पद, सहायक अध्यापक एल0टी0 का 01 पद, कनिष्ठ सहायक का 01 नियमित पद एवं चतुर्थ श्रेणी के 02 पद

/5709/2024

आउटसोर्स) को समर्पित किए जाने के दृष्टिगत उक्त आदेश दिनांक 15.11.2018 को यथाप्रक्रिया संशोधित किया जाएगा।

5— उक्त पद 03 वर्ष से अधिक समय तक रिक्त रहने के कारण स्वतः ही समाप्त समझे जायेंगे।

6— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—193454/2024 दिनांक 23.02.2024 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 05-03-2024 16:07:19

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या— 195709 /XXIV—5/24—01(03)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकर, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक,माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 06-03-2024 13:36:47

(जे0 एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव

SEI-15/147/1/2022-XXIV-B-1-Secondary Education Department

/181648/2024

निदेशालय माध्यमिक शिक्षा
इण्डेक्स न. 1909
दिनाँक 16.01.2024

संख्या–181648/XXIV-B-1/23-09(02)2022

प्रेषक,

अनिल कुमार पाण्डे
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक// जनवरी, 2024

विषय– तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने, विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन का पुनर्निधारण किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–अर्थ 5(क)/326/02/अ0अनु0तदर्थ नि0/2021–22, दिनांक 06.04.2022 एवं पत्रांक–अर्थ 5(क)/18501/13/तदर्थ नि0/2023–24, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय स्तर पर कतिपय विसंगतियां उत्पन्न होने एवं प्रकरणों का निस्तारण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न होने के दृष्टिगत तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों को तदर्थ अवधि में वेतन वृद्धि दिये जाने व विनियमितीकरण किये जाने पर वेतन पुनर्निर्धारित किये जाने तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना हेतु किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

02– उक्त के क्रम में अवगत कराया जाना है कि वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–210/दस–83–सं0–व्य0(सा0)–82 दिनांक 04 फरवरी, 1983 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में निम्न व्यवस्था है :–

"नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिए अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को 'नियमित सेवा' नहीं माना जायेगा और 'नियमित सेवा' की अवधि का आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिसके आधार पर किसी कर्मचारी को अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की गयी हो......।

शिक्षा अनुभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–1558 दिनांक 18 अक्टूबर, 1997 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि पेंशन के पात्र वही शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी होंगे जो नियमित रूप से चयनित हों तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हों। तदर्थ सेवायें पेंशन हेतु नहीं जोडी जायेंगी।

उक्त के अतिरिक्त "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018" के नियम–1(2) (ख) तथा नियम–4 में पेंशन की अर्हता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

कृपया तदनुसार संगत नियमों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Anil Kumar Pandey
Date: 11-01-2024 16:47:21

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

संख्याः 263151/XXX(2)/2024-E 77433

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2024

विषयः– अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों के त्वरित निस्तारण तथा विदाई सम्मान समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि जनपद स्तरीय कार्यालयों एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनात कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त प्रायः उनके सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान काफी विलम्ब से किया जा रहा है, जबकि उक्त देयकों के भुगतान में विलम्ब की रोकथाम के लिये, वित्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्य प्रणाली का सरलीकरण शासनादेश संख्या–सा–3–1713/दस–87– 933/89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 निर्गत किया गया है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगमों/बोर्ड/आयोगों/संस्थानों एवं उपक्रमों के कार्यालयों तथा मण्डल व जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की तिथि अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में एक विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया जाये।

3. उक्त के अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित कार्मिकों को ऐसे विदाई सम्मान समारोह में ही उनके समस्त सेवानैवृत्तिक देयकों यथा–पी०पी०ओ० (पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन) अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा के भुगतान व जी०पी०एफ० में जमा 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का आदेश नियमानुसार हस्तगत करा दिया जाय।

उपर्युक्त् के अतिरिक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी/अधिकारी की लम्बी सेवा के दृष्टिगत उन्हें एक मोमेन्टों व एक ODOP के अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए उनके सेवा के दौरान के अनुभवों को साझा करते हुए अन्य कार्मिकों को सरकारी कार्य/सेवा के प्रति प्रेरित भी किया जाए।

भवदीय,

Signed by
Radha Raturi
Date: 23-12-2024 12:15:14

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव।

प्रेषक,   संख्या– ९१५ /XXIV-B-3/25/50024

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3   देहरादून, दिनांक: 01 अगस्त 2025

विषयः केन्द्र तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के दोहरे लाभ विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–शो.मू./छात्रवृत्ति परीक्षा/1918–20/2025-26 दिनांक 09.05.2025 तथा पत्र संख्या–SCERT/Scholarship/2317-19/2025-26 दिनांक 18.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उक्त छात्रवृत्तियों का दोहरा लाभ दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संचालित तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्तियों का दोहरा लाभ न दिये जाने से अधिकतम विद्यार्थी एकल रूप से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्तियों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा विभागान्तर्गत संचालित केन्द्र तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस हेतु निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय–

1. यदि किसी छात्र–छात्रा को केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो उसे केन्द्र सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति तथा राज्य सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
2. यदि किसी छात्र–छात्रा को राज्य सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो उसे राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति तथा केन्द्र सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 28-07-2025
14:25:10

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या ९१५ /XXIV-B-3/25/50024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–अपर सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक, एन0सी0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Anil Kumar Pandey
Date: 01-08-2025
13:00:42

(अनिल कुमार पाण्डे)

उपसचिव।

SE4-114/114/68/2022-XXIV-B-4-Secondary Education Department

001/2024

निदेशालय
इंद्रजेश न.
दिनांक

855
30/08/24

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 236001-24-XXIV-4-10(17)/2014
देहरादून: दिनांक 29 अगस्त 2024

AD अकादमिक
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
30/8/24

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को कार्यालय ज्ञाप संख्या-437/दिनांक-20 अक्टूबर 2009, कार्यालय ज्ञाप संख्या-489/ दिनांक-25 अक्टूबर 2012, कार्यालय ज्ञाप संख्या-457/दिनांक-08 जुलाई 2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-723/ दिनांक-13 जुलाई 2021 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रतिवर्ष शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष-2022 हेतु शासनादेश संख्या-100896/ 23-XXIV-4-10(17)/2014 दिनांक-28 फरवरी 2023 के माध्यम से कुल 17 शिक्षकों को उक्त पुरस्कार प्रदान किया गया था। उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ0 देवेन्द्र प्रसाद प्रधानाचार्य, देवीदत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ रामगनगर, नैनीताल को अर्हकारी मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुये विशेष रूप से संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष-2022 के लिए शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त शासनादेश संख्या-100896/23-XXIV-4-10(17)/2014 दिनांक-28 फरवरी 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इस शासनादेश की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

Signed by Raman Ravinath
Date: 29-08-2024 16:26:24

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या-236001 /XXIV-4/10(17)2014 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. अपर निदेशक, माध्यमिक/बेसिक, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।

/2024

10. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
11. डॉ0 देवेन्द्र प्रसाद प्रधानाचार्य, देवीदत्त दुर्गादत्त पाण्डेय संस्कृत विद्यापीठ रामनगर, नैनीताल।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Shiv Vibhooti Ranjan
Date: 29-08-2024 18:15:28
(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव।

संख्या– 863 /xxiv–4/2025–09(05)2023

विविध

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून दिनांक 10 ~~अक्टूबर,~~ नवम्बर, 2025

विषय :–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–582/2023 ''शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली पुरस्कार सम्मान धनराशि रूपये 10 हजार से बढ़ाकर रूपये 21 हजार किया जायेगा'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–582/2023 ''शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली पुरस्कार सम्मान धनराशि रूपये 10 हजार से बढ़ाकर रूपये 21 हजार किया जायेगा'' के सम्बन्ध में अपने पत्रांक अकादमिक/22073/ मा0मु0मं0घो0–582/2023–24 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त 'राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्बन्धित मूल शासनोदश संख्या–811 दिनांक 08.11.2004 में संशोधन करते हुए राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को प्रदान की जाने वाली धनराशि रू0 10,000 (रू0 दस हजार मात्र) से बढ़ाकर 21,000 रू0 (रू0 इक्कीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन सहमति दी जाती है :–

(1) उक्त सहमति मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु एक बार के लिए ही दी जा रही है जिसे भविष्य हेतु दृष्टांत नहीं माना जायेगा।

(2) आगामी वर्ष हेतु पुरूस्कार प्रदान किये जाने हेतु विधिवत रूप से नियमावली के प्रख्यापन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। तद्पश्चात ही मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु यथा प्रक्रिया धनराशि को भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्रक्रियाओं/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त शासनादेश संख्या–811 दिनांक 08 नवम्बर, 2004 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–338698/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 10-11-2025
12:25:09

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 863 /xxiv–4/2025–09(05)2023 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 शिक्षा मंत्री जी।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखड।
4– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6– अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।
7– अपर/संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल ,पौड़ी/कुमॉयू मण्डल नैनीताल।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक/माध्यमिक) उत्तराखण्ड।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Richa
Date: 10-11-2025
13:17:51

(ऋचा)
उप सचिव।

20/01/2024

मा० न्यायालय वाद / शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,
रविनाथ रामन
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा–1
प्रेषित
20-1-2024

सेवा में,
महानिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून, दिनांक 16 जनवरी 2024

विषयः मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–747 / एम०एस० / 2021, नृपेन्द्र कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–30.10.2023 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांक / विधि प्रकोष्ठ (मा.शि.) / 27170 / 2023–24 दिनांक–16 दिसम्बर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–747 / एम०एस० / 2021, नृपेन्द्र कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–30.10.2023 का अनुपालन किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 – मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–747 / एम०एस० / 2021, नृपेन्द्र कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–30.10.2023 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है–

Learned Chief Standing Counsel would submit that petitioner may not be entitled to consequential relief because he has already been retired in the year 2020, he may not be entitled for the extension of service, bt he admits that in view of the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the case of Ram Asrey Maurya (supra) the petitioner is entitled to the award.

A similar controversy has already been decided in the case of Ram Asrey Maurya (supra). The matter is squarely covered be the judgement given by this court in the case of Ram Asrey Maurya (supra) subject to the modification, as made by the Hon'ble Supreme Court.

In view of the foregoing discussion, this Court is of the view that

the instant petition deserves to be allowed.

The petition is allowed.

A writ of mandamus is issued to the respondent authorities to forthwith give award to the petitioner within a period of three months from today."

3– अतः प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित योजित रिट याचिका संख्या–747/एम0एस0/2021, नृपेन्द्र कुमार जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–30.10.2023 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए श्री नृपेन्द्र कुमार जोशी, पूर्व प्रधानाध्यापक, रा0उ0मा0वि0 भटकोट, अल्मोड़ा को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार–2018 एवं उक्त पुरस्कार हेतु निर्धारित नकद धनराशि तत्काल प्रदान करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल एवं शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

Signed by Raman Ravinath
Date: 15-01-2024 15:15:53

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः 282 / XX-5 / 26-03(18)2022

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / विशेष प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–5 देहरादून, दिनांकः 25 फरवरी, 2026

विषयः शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासकीय कार्यालयों में प्रायः घटित होने वाली अप्रिय / हिंसक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह की घटनाओं की रोकथाम हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त् एतद्द्वारा राजकीय कार्यस्थलों पर अधिकारियों / कर्मचारियों की सुरक्षा, बचाव एवं प्रवेश नियंत्रण हेतु तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

02– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार राजकीय कार्यस्थलों पर अधिकारियों / कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

संख्या–282 (1) / XX-5 / 26-03(18)2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं मण्डल।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल / कुमायूं मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

25/2/26

(निवेदिता कुकरेती)
विशेष सचिव।

राजकीय कार्यस्थलों पर अधिकारियों/कर्मचारियों की सुरक्षा, बचाव एवं प्रवेश नियंत्रण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।

1. उद्देश्य एवं प्रयोज्यता:–

1.1. कार्यस्थल पर बाहरी आक्रामकता, अनावश्यक दबाव अथवा हिंसा से लोक सेवकों को भौतिक एवं विधिक रूप से पूर्णतः सुरक्षित रखने हेतु एक सुदृढ़ सुरक्षात्मक तंत्र स्थापित करना।

1.2. यह उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कार्यरत समस्त सरकारी कार्यस्थलों (निदेशालयों, जिलाधिकारी परिसरों, खंड विकास कार्यालयों, राजकीय शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों आदि) पर लागू होगी, जिस हेतु विभाग के सचिव द्वारा विभागीय आवश्यकतानुसार यथा संशोधनों सहित इसकी अधिसूचना पृथक से जारी की गई हो। जिन कार्यालयों में पूर्व से सुरक्षा की व्यवस्था विद्यमान है यथा सचिवालय/विधानसभा इत्यादि, उनमें यह मानक संचालन प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

1.3. यह सुरक्षा प्रतिबंध एवं नियम आम जनमानस, निजी ठेकेदारों, जन–प्रतिनिधियों, उनके समर्थकों तथा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारियों (PSO) सहित समस्त आगंतुकों पर बिना किसी अपवाद के लागू होंगे।

1.4. विभाग के सचिव सुरक्षा खतरों के आधार पर PSARA (पसारा) के अन्तर्गत पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर सकते हैं।

2. परिधि सुरक्षा एवं भौतिक प्रवेश नियंत्रण :–

2.1. समस्त स्थायी एवं संविदा कर्मचारियों के लिए मानकीकृत, टैम्पर–प्रूफ पहचान पत्र दृष्टिगोचर रूप से धारण करना अनिवार्य होगा।

2.2. कार्यालय परिसर में आम जनता के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिषिद्ध रहेगा। वी0आई0पी0 अथवा दिव्यांगजनों के वाहनों को 'अंडर–व्हीकल मिरर' द्वारा सघन जाँच के उपरांत ही प्रवेश अनुमन्य होगा।

2.3. सुरक्षा जाँच (Screening) प्रक्रिया:

2.3.1. प्रवेश द्वारों पर यथावश्यकता से स्थापित डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

2.3.2. महानुभावों/विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन पूर्व अनुमति के साथ ही परिसर में प्रवेश कर सकेगें।

2.3.3. सुरक्षा कर्मियों द्वारा सभी व्यक्तियों की शारीरिक जाँच (Frisking) की जाए।

2.3.4. दुर्व्यवहार के दोषी व्यक्तियों (Black Listed) का परिसर में प्रवेश वर्जित करने हेतु सुरक्षा चौकी पर एक औपचारिक "नो–एंट्री" फोटो–युक्त पंजिका संधारित की जाए।

3. आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (Visitor Management System):–

कार्यालयों में यथासंभव डिजिटल VMS प्रणाली लागू की जाए तथा जहाँ पर सम्भव न हो, तो भौतिक रजिस्टर के माध्यम से भी आगन्तुकों का विवरण रखा जाए, :

3.1. आगंतुक की उच्च–रिज़ॉल्यूशन फोटो एवं वैध सरकारी पहचान पत्र का सत्यापन कर वी0एम0एस0 में प्रविष्टि की जाए। भौतिक रजिस्टर होने की दशा में आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र संख्या और आने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से अंकित हो।

संलग्नक 1
आगन्तुकों हेतु सामान्य दिशा–निर्देश (Do's and Dont's)

प्रवेश एवं पहचान (Access & Identification)

- कार्यालय में प्रवेश से पूर्व स्वागत कक्ष (Reception) पर अपना पंजीकरण कराएं और वैध पहचान पत्र (Aadhaar/Voter ID) दिखाए एवं साथ रखे।
- किसी भी अधिकारी से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित समय (Appointment) या आवंटित टोकन नंबर की प्रतीक्षा करें।

शिष्टाचार एवं व्यवहार (Standard of Behavior)

- सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के साथ बात करते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग करें।
- किसी भी प्रकार का शोर–शराबा, नारेबाजी या उत्तेजक व्यवहार कार्यालय परिसर में पूर्णतः वर्जित है।
- अधिकारी के कक्ष में एक समय में केवल दो (2) व्यक्तियों (या अधिकृत प्रतिनिधि) को ही प्रवेश की अनुमति होगी। 02 से अधिक व्यक्ति किसी भी दशा में अधिकारियों के कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे।
- शारीरिक हमला या अभद्र व्यवहारः ड्यूटी पर तैनात किसी भी लोक सेवक (Public Servant) के साथ धक्का–मुक्की, मारपीट या गाली–गलौज करना एक गंभीर दंडनीय अपराध है।
- ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी और उन्हें परिसर से तुरन्त निष्कासित कर दिया जाएगा।
- यह परिसर पूर्णतः सी0सी0टी0वी0 से आच्छादित है। आपका अमर्यादित व्यवहार आपको कानूनी रूप से दण्ड का भागीदार बना सकता है।

प्रतिबंधित वस्तुएं (Prohibited Items)

- कार्यालय के भीतर ज्वलनशील पदार्थ, स्याही (ink), लाठी–डंडा, हथियार या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु ले जाना पूर्णतः वर्जित है।
- परिसर के भीतर वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।

शिकायत दर्ज करने का सही तरीका (Grievance Redressal)

- यदि आप किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपनी बात लिखित रूप में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष या इस नम्बर...पर सम्पर्क कर सकते है।
- शारीरिक बल का प्रयोग आपकी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह आपको कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है।

****

3.2. सत्यापन के उपरांत समय-मुद्रित (Time-stamped) क्यू0आर0/आर0एफ0आई0डी0 बैज निर्गत किया जाए, जो आगंतुक को केवल निर्दिष्ट 'मीटिंग जोन' तक ही सीमित रखे। डिजिटल पास की अनुपलब्धता की स्थिति में, हस्ताक्षरित पेपर-पास जारी किया जाए जिस पर प्रवेश और निकास का समय और स्थान जिसके लिए मान्य है, दर्ज हो।

3.3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट हेतु पूर्व से समय लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के उपस्थित होने वाले आगंतुकों को प्रवेश द्वार से ही वापस कर दिया जाए।

4. जन-सामान्य से भेंट एवं बैठक प्रोटोकॉल:-

4.1. विभागाध्यक्षों द्वारा जन शिकायतों की सुनवाई हेतु नियत समय निर्धारित कर प्रवेश द्वार एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।

4.2. प्रतिनिधिमंडल (Delegation) सीमा: आम जनता के प्रतिनिधिमंडल में दो (02) से अधिक व्यक्ति होने पर बैठक अधिकारी के कक्ष के स्थान पर 'कॉन्फ्रेंस रूम' में आहूत की जाए, जिसमें अनिवार्य रूप से सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा होना चाहिए। 'कॉन्फ्रेंस रूम' में एक पृथक से निकास द्वार भी होना चाहिए।

4.3. निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या तीन (03) (प्रतिनिधि सहित) तक सीमित रखी जाए। अतिरिक्त व्यक्तियों हेतु सुरक्षित प्रतीक्षालय की व्यवस्था की जाए।

4.4. वी0आई0पी0 के साथ आने वाले सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को अपने शस्त्र मुख्य रिसेप्शन पर घोषित करने होंगे तथा वे निर्दिष्ट प्रतीक्षालय में ही रुकेंगे, जब तक कि कोई विशिष्ट खतरा न हो।

4.5. प्रतिनिधिमंडल लाने वाले व्यक्ति, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख तथा इसके सभी सदस्यों का नैतिक दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि परिसर में सार्वजनिक मर्यादा एवं शिष्टाचार पूर्ण रूप से बनाए रखा जाए।

5. सुरक्षा अवसंरचना एवं निगरानी व्यवस्था:-

5.1. प्रवेश द्वारों, गलियारों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के कक्षों में उच्च गुणवत्ता (HD) के सी0सी0टी0वी0 कैमरे (ऑडियो रिकार्डिंग सहित) स्थापित किए जाएं। फोरेंसिक पहचान सुनिश्चित करने हेतु वीडियो फुटेज का स्थानीय सर्वर पर न्यूनतम 03 माह (90 दिन) का सुरक्षित बैकअप रखा जाए।

5.2. अधिकारियों की डेस्क के नीचे एवं रिसेप्शन पर गुप्त 'साइलेंट पैनिक अलार्म' स्थापित किए जाएं।

6. घटना के उपरान्त विधिक एवं संस्थागत कार्यवाही:-

6.1. साक्ष्यों की अखंडता (Chain of Custody) सुनिश्चित करने हेतु घटनास्थल को तत्काल सील किया जाए। सफाई कर्मचारियों को साक्ष्यों (फटे दस्तावेज, टूटे फर्नीचर) से छेड़छाड़ न करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।

6.2. सम्बंधित कार्यालय/आई0टी0 प्रशासक द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज की सुरक्षित प्रतिलिपि तैयार कर जाँच अधिकारी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए।

6.3. घायल कार्मिकों की तत्काल चिकित्सा व्यवस्था कराते हुए 'मेडिको–लीगल केस' दर्ज कराया जाए।

6.4. भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) व अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं का प्राथमिकी में अनिवार्य रूप से समावेश किया जाए।

6.5. ऐसे प्रकरणों की विवेचना अनिवार्य रूप से निरीक्षक (Inspector) स्तर के अधिकारी द्वारा ही सम्पादित की जाएगी।

6.6. यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना दो महीने के अंतर्गत समाप्त कर ली जाए।

7. विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संलग्नक–1 में अंकित जानकारी कार्यालय परिसर के सभी प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित (चस्पा) की जाए :–

7.1. आगंतुकों के लिए निर्धारित आचार संहिता (Do's and Dont's)।

7.2. सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार या कदाचार की स्थिति में की जा सकने वाली संभावित दंडात्मक कार्रवाइयों की सूची।

7.3. सभी महत्वपूर्ण संपर्क विवरण।

8. संबंधित विभागीय सचिव के अनुरोध पर सचिव, गृह विभाग यदि उचित समझें, तो महत्वपूर्ण निदेशालयों एवं उच्च–जोखिम वाले कार्यालयों का वार्षिक सुरक्षा ऑडिट (Annual Security Audit) सुनिश्चित किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय को निर्देशित करेंगे।

****

-703/2024

1. सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद अपने मूल संवर्ग/मण्डल (जिसमें शिक्षक नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी।
2. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत की जा सकेगी।
3. दोनों मण्डलों के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा एकरूपता में निर्धारित किए गए प्रारूप पर संवर्ग/मण्डल परिवर्तन के इच्छुक शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक को आवेदन उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों के आवेदनों को विषयवार सूचीबद्ध करते हुए समस्त आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय सामान्य शाखा में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्य शाखा एवं महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं का स्थानांतरण महिला शाखा में ही किया जा सकेगा।
6. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय विषय विशेष में दोनों मण्डलों में से जिस मण्डल में वास्तविक रिक्तियों की संख्या कम होगी, उस विषय में उतनी सीमा तक

3/2024

ही समान श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

7. वास्तविक रिक्तियों की गणना करते समय जितने पदों पर सम्बन्धित वर्ष में भर्ती हेतु प्रक्रिया गतिमान होगी उन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

8. मंडल में विषय विशेष में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष स्थानांतरण के आवेदन अधिक होने की स्थिति में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17(1)(ख) में उल्लिखित क्रमानुसार समान श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध प्राप्त होने पर दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य सेवावधि पूर्ण होने की दशा में अधिनियम की धारा 17(1)(ग) (तीन) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

9. वरिष्ठ शिक्षक द्वारा दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति में (1) वरिष्ठता की गणना सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। यदि पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो (2) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को स्थानांतरित किया जाएगा। यदि आयु भी समान हो तो (3) दुर्गम स्थान में अधिक समय तक कार्य करने वाले शिक्षक को स्थानांतरित किया जाएगा।

10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरान्त शिक्षकों को मंडल आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

11. मंडलीय अपर निदेशक द्वारा संबंधित शिक्षक की पदस्थापना मण्डल के अन्तर्गत उपलब्ध वास्तविक रिक्त पदों के सापेक्ष समान श्रेणी (सुगम / दुर्गम) के विद्यालय में

की जाएगी, किन्तु सामान श्रेणी के विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में निम्न श्रेणी के विद्यालय में पद स्थापना की जा सकेगी। यदि दुर्गम श्रेणी में पद रिक्त न हो तो जिस शिक्षक द्वारा दुर्गम श्रेणी के विद्यालय में सर्वाधिक वर्षों की सेवा पूर्ण की हो उसकी तैनाती सुगम श्रेणी के विद्यालय में की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि सुगम श्रेणी में पद रिक्त न हो तो जिस शिक्षक द्वारा सुगम श्रेणी के विद्यालय में सबसे अधिक वर्षों की सेवा पूर्ण की हो, उसकी तैनाती दुर्गम श्रेणी के विद्यालय में की जा सकेगी।

12. उपरोक्त समस्त कार्यवाही के उपरान्त मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

13. मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के प्रस्तावों के परीक्षण हेतु शासन स्तर पर निम्नवत समिति गठित की जाती है :-

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	– अध्यक्ष
अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
संयुक्त सचिव/उप सचिव/ अनु सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य

14. उपरोक्त समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा मण्डल/संवर्ग परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, जिसके क्रम में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जाएंगे।

15. एक मण्डल से दूसरे मण्डल में संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक स्थानांतरण के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल

से आच्छादित होंगे।

18. उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रकरण शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 29-05-2024 15:15:12

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या– [illegible] / XXIV-ब–1 /24/ [illegible] /2011 टी0सी0।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- अपर निदेशक, माध्यमिक, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Prem Singh Rana
Date: 03-06-2024 10:42:52

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

संख्या–2204 /XXIV-B-1/23-13(02)2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

D.D सेवा-2

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय–उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
26/12/24

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

विषय–माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनायी जाने वाली प्रकिया में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–214203/XXIV-B-1/2024/32(02)/2011, दिनांक 04.06.2024 के प्रस्तर–2 के अन्तर्गत बिन्दु–01 से 16 में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग हेतु परिवर्तन अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में SOP निर्धारित की गयी है।

02– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–सेवा0अराज0/20766–67/तीन(ख)24/2024–25, दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से SOP में संशोधन किए जाने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एल0टी0 के मण्डल/संवर्ग हेतु परिवर्तन अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.06.2024 के प्रस्तर–2 के अन्तर्गत बिन्दु–01 से 16 में निर्धारित SOP को संशोधित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्धारित किया जाता है:–

1. सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद पर अपने मूल संवर्ग/मण्डल (जिसमें वे नियुक्त हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी।

2. प्रत्येक वर्ष संवर्ग/मण्डल परिवर्तन की कार्यवाही सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त एक बार की जा सकेगी। सम्बन्धित वर्ष में अवशेष रह गए शिक्षकों के सम्बन्ध में अगले वर्ष विचार किया जाएगा।

3. अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17(1)(ख) तथा 17(1)(ग)(तीन) के अनुसार सुंसगत श्रेणी के अभिलेख/प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त करने के उपरान्त श्रेणीवार/संवर्गवार/विषयवार पात्रता सूची तैयार की जायेगी। सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा पात्रता सूची का निर्धारण स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच), (छः) एवं 17(1)(ग) (तीन) में आवेदन करने वाले शिक्षकों की शैक्षिक संवर्ग के अन्तर्गत दुर्गम में की गयी सेवा के अवरोही क्रम में की जाएगी तथा धारा 17 (ख)(सात) में आवेदन करने वाले शिक्षकों की सुगम में की गयी सेवा के अवरोही क्रम में की जाएगी। समान सेवा अवधि वाले शिक्षकों में अधिक आयु वाले शिक्षक को काउंसिलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी तथा यदि आयु भी समान हो तो दुर्गम स्थल में अधिक समय तक कार्य करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. वरिष्ठ शिक्षक की स्थिति में वरिष्ठता की गणना शैक्षिक संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। यदि पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को स्थानांतरित किया जाएगा। यदि आयु भी समान हो तो दुर्गम स्थल में अधिक समय तक कार्य करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों के आवदन–पत्र

विषयवार/श्रेणीवार सूचीबद्ध करते हुए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराए जाएंगे।

6. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अर्ह शिक्षकों की पात्रता सूची एवं रिक्ति का अनुमोदन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड से प्राप्त किया जायेगा तथा काउंसिलिंग हेतु अभिलेख सहित अनुमोदित पात्रता सूची एवं रिक्तियों की सूचना विभागीय बेवसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

7. काउंसिलिंग के माध्यम से संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय सामान्य शाखा में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण काउंसिलिंग के माध्यम से सामान्य शाखा एवं महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं का स्थानांतरण काउंसिलिंग के माध्यम से महिला शाखा में ही किया जा सकेगा।

8. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय विषय विशेष में दोनों मण्डलों में से जिस मण्डल में वास्तविक रिक्तियों की संख्या कम होगी, उस विषय में उतनी सीमा तक ही समान श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

9. वास्तविक रिक्तियों की गणना करते समय जितने पदों पर सम्बंधित वर्ष में भर्ती हेतु प्रक्रिया गतिमान होगी उन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

10. मंडल में विषय विशेष में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष स्थानांतरण के आवेदन अधिक होने की स्थिति में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17(1)(ख) में उल्लिखित क्रमानुसार समान श्रेणी के विद्यालय में काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापना की जा सकेगी। दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य सेवावधि पूर्ण होने की दशा में अधिनियम की धारा 17(1)(ग)(तीन) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

11. एक मण्डल से दूसरे मण्डल में संवर्ग परिवर्तन के फलवरूप स्थानांतरित शिक्षक स्थानांतरण के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल में कनिष्ठतम होंगे।

12. उक्तवत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

13. कुमायूं मण्डल से गढ़वाल मण्डल आने वाले शिक्षकों की कांउसिलिंग अपर शिक्षा निदेशक, मा0शि0 गढ़वाल मण्डल एवं गढ़वाल मण्डल से कूमांयू मण्डल आने वाले शिक्षकों की कांउसिलिंग अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमांयू मण्डल द्वारा की जायेगी।

14. काउंसिलिंग के पश्चात पदस्थापना आदेश निर्गत करने से पूर्व महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

15. मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप पदस्थापना करते समय पारदर्शिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा किसी भी दशा में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या-2205 / XXIV-B-1 /24/13(02)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, माध्यमिक, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव

SEI-6/1891/2023-XXIV-B-1-Secondary Education Department

संख्या– 284131 /XXIV–B–1/25–01(15)/2022

प्रेषक,

अनिल कुमार पाण्डे,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2025

विषयः– राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, एल0टी0, वेतनमान (44900– 142400 लेवल–7) के 135 आस्थगित पदों को सहायक अध्यापक एल0टी0(विशेष शिक्षा शिक्षक), वेतनमान (44900– 142400 लेवल–7) में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–494/XXIV–B–1/23–01(15)/2022, दिनांक 20.03.2023 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयों में पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में 03 इस प्रकार कुल 285 विशेष शिक्षा शिक्षकों के अस्थायी (आउटसोर्स के माध्यम से) पदों का सृजन दिनांक 29.02.2024 तक के लिए किया गया है।

2– अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 890/XXIV–नवसृजित/2018–25(05)/ 2017, दिनांक 15.11.2018 एवं शासनादेश संख्या 66393/XXIV–B-1/22–2018–25(05)/ 2017, दिनांक 30.09.2022 के अनुपालन में राजकीय विद्यालयों के विलय के फलस्वरूप सहायक अध्यापक एल0टी0 (वेतनमान 44900–142400 लेवल–7) के आस्थगित रखे गए 135 पदों को तत्काल प्रभाव से सहायक अध्यापक एल0टी0 (विशेष शिक्षा शिक्षक) (वेतनमान–44900–142400, लेवल–7) के रूप में परिवर्तित करते हुए निम्न प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– सहायक अध्यापक एल0टी0 (विशेष शिक्षा शिक्षक) (वेतनमान–44900– 142400, लेवल–7) के उपरोक्तानुसार 135 पदों के सृजन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–494/XXIV–B–1/23–01(15)/2022, दिनांक 20.03.2023 द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से सृजित विशेष शिक्षा शिक्षकों के कुल सृजित 285 पदों के सापेक्ष 135 अस्थायी पद समाप्त समझे जाएंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग ई–ऑफिस के माध्यम से कम्प्यूटरजनित संख्या :–283877/2025/XXVII(7)/2025, दिनांकः 20 मार्च, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Anil Kumar Pandey
Date: 20-03-2025 15:28:27
(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव।

संख्या– 284131 (1)/XXIV–B–1 /25/01(15)/2022 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
8. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)

अनु सचिव।

संख्या–214203/XXIV–B–1 /2024/32(02)/2011

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–01 देहरादूनः दिनांकः 04 ~~मई~~ जून, 2024

विषयः– सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों के मण्डल/संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या सेवायें–2/3(ख)1/1/2023/1719/2024–25, निांक 29 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2024' के नियम 4(1) के क्रम में सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों के मण्डल परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में SOP का प्रारूप तैयार उपलब्ध कराया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2024' के नियम 4(1) के परन्तुक में प्राविधानित व्यस्था क्रम में सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों के सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र 01 बार मण्डल/संवर्ग परिवर्तन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में SOP निर्गत करते हुए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्गत किए जाते हैं :–

Scanned with OKEN Scanner

1. सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद अपने मूल संवग/मण्डल (जिसमें शिक्षक नियुत हुए हैं) में न्यूनतम 05 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक एल0टी0 शिक्षकों को सेवाकाल में मात्र एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन की सुविधा अनुमन्य होगी।
2. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत की जा सकेगी।
3. दोनों मण्डलों के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा एकरूपता में निर्धारित किए गए प्रारूप पर संवर्ग/मण्डल परिवर्तन के इच्छुक शिक्षकों द्वारा सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक को आवेदन उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. सम्बन्धित मण्डल के अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षकों के आवदनों को विषयवार सूचीबद्ध करते हुए समस्त आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय सामान्य शाखा में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण सामान्य शाखा एवं महिला शाखा में कार्यरत शिक्षिकाओं का स्थानांतरण महिला शाखा में ही किया जा सकेगा।
6. संवर्ग/मण्डल परिवर्तन करते समय विषय विशेष में दोनों मण्डलों में से जिस मण्डल में वास्तविक रिक्तियों की संख्या कम होगी, उस विषय में उतनी सीमा तक

Scanned with OKEN Scanner

ही समान श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

7. वास्तविक रिक्तियों की गणना करते समय जितने पदों पर सम्बंधित वर्ष में भर्ती हेतु प्रक्रिया गतिमान होगी उन्हें रिक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

8. मंडल में विषय विशेष में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष स्थानांतरण के आवेदन अधिक होने की स्थिति में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–17(1)(ख) में उल्लिखित कमानुसार समान श्रेणी के विद्यालय में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण का अनुरोध प्राप्त होने पर दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य सेवावधि पूर्ण होने की दशा में अधिनियम की धारा 17(1)(ग) (तीन) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

9. वरिष्ठ शिक्षक द्वारा दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति में (1) वरिष्ठता की गणना सहायक अध्यापक एल0टी0 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाएगी। यदि पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो (2) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को स्थानांतरित किया जाएगा। यदि आयु भी समान हो तो (3) दुर्गम स्थल में अधिक समय तक कार्य करने वाले शिक्षक को स्थानांतरित किया जाएगा।

10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षणोपरान्त शिक्षकों को मंडल आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

11. मंडलीय अपर निदेशक द्वारा संबंधित शिक्षक की पदस्थापना मण्डल के अन्तर्गत उपलब्ध वास्तविक रिक्त पदों के सापेक्ष सामान श्रेणी (सुगम/दुर्गम) के विद्यालय में

Scanned with OKEN Scanner

की जाएगी, किन्तु सामान श्रेणी के विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में भिन्न श्रेणी के विद्यालय में पद स्थापना की जा सकेगी। यदि दुर्गम श्रेणी में पद रिक्त न हो तो जिस शिक्षक द्वारा दुर्गम श्रेणी के विद्यालय में सर्वाधिक वर्षों की सेवा पूर्ण ही हो उसकी तैनाती सुगम श्रेणी के विद्यालय में की जा सकेगी। इसी प्रकार यदि सुगम श्रेणी में पद रिक्त न हो तो जिस शिक्षक द्वारा सुगम श्रेणी के विद्यालय में सबसे अधिक वर्षों की सेवा पूर्ण की हो, उसकी तैनाती दुर्गम श्रेणी के विद्यालय में की जा सकेगी।

12. उपरोक्त समस्त कार्यवाही के उपरान्त मण्डल/संवर्ग परिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

13. मण्डल/संवर्ग परिवर्तन के प्रस्तावों के परीक्षण हेतु शासन स्तर पर निम्नवत समिति गठित की जाती है :–

अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	– अध्यक्ष
अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
संयुक्त सचिव/उप सचिव/ अनु सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य

14. उपरोक्त समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा मण्डल/संवर्ग परिवर्तन का अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, जिसके क्रम में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जाएंगे।

15. एक मण्डल से दूसरे मण्डल में संवर्ग परिवर्तन के फलवरूप स्थानांतरित शिक्षक स्थानांतरण के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपने नवीन संवर्ग/मण्डल

Scanned with OKEN Scanner

में कनिष्ठतम होंगे।

16. उक्तवत निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 29-05-2024 13:15:12

(रविनाथ रामन)
सचिव

संख्या–2/14203/ XXIV–B–1 /24/32(02)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - अपर निदेशक, माध्यमिक, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
3. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Prem Singh Rana
Date: 03-06-2024 10:42:52

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या:-7/3671/34/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादून: दिनांक 03 फरवरी ~~जनवरी~~, 2026

विषय:- **विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्ययोजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनहित याचिका संख्या-116/2018 'कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य' में, दिनाँक 12.11.2018 को हुई सुनवाई में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्नवत् अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैः-

(A) The state government is directed to regularise the employees sponsored through UPNL in a phased manner within a period of one year as per regularization schemes framed from time to time.

(B) The state Government is directed to ensure that the employees sponsored by UPNL get minimum of pay-scale with dearness allowance along with arrears to be paid within a period of six month from today.

(C) The respondents are directed not to deduct any GST or Service Tax from the salary of the employees sponsored by UPNL.

2. उक्त आदेश के अनुपालन हेतु, 'उत्तराखण्ड उपनल कर्मचारी संघ' द्वारा अवमानना संख्या-402/2024 योजित किया गया, जिसमें दिनाँक 20.11.2025 की सुनवाई में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्नवत आदेश दिये गये हैः-

'---Learned Advocate General submits that the Government is much serious to comply with the directions of the Court. He submits that the government has taken a call on it and a sub-Committee has been formulated

in the month of November, which has been given two months' time to submit a report as to how in a phased manner the directions of the Court may be implemented. He submits that by some time mid in the month of January, a report would be received and, thereafter, decision would be taken for implementation in the matter.

The Court takes on record the statement given by learned Advocate General and learned Chief Standing Counsel.

List this matter on 12-02-2026.

On that date, the State shall inform the Court as to what action has been taken for compliance of the Court's order pursuant to the sub-Committee's report.

3. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 12.11.2018 को पारित उक्त आदेश के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) उपनल कार्मिक, जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं, को उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महँगाई भत्ता प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 116/2018 में पारित आदेश की तिथि 12.11.2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जायेगी।

(2) राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष वेतनमान के न्यूनतम व देय मंहगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा।

(3) संबंधित विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी/पद के वेतनमान के न्यूनतम व देय मंहगाई भत्ता के योग के बराबर धनराशि नियत मानदेय के रूप में निम्नानुसार अनुमन्य होगा–

श्रेणी	अधिकतम अनुमन्य वेतन लेवल	अभ्युक्ति
1	2	3
अकुशल	01	स्तम्भ 2 में अंकित वेतन लेवल अथवा उस पद के वेतन लेवल का न्यूनतम (Entry Level) जिसके सापेक्ष उसे कार्योजित किया जायेगा, में से जो भी कम हो, का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता अनुमन्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते अनुमन्य नही होंगे।
अर्द्धकुशल	02	
कुशल	04	
उच्च कुशल	07	
अधिकारी	10	

(4) कार्मिक संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं रखता हो, अन्यथा की स्थिति में उसे उसकी शैक्षिक अर्हता के अनुसार उपलब्ध समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाय।

(5) संबंधित कार्मिक की प्रास्थिति, कार्मिक अनुभाग–02 के शासनादेश संख्या–111 /XXX(2)/2018–30(12)2018, दिनांक 27.04.2018 एवं शासनादेश संख्या–379 /XXX(2)/2018–30(12)2018, दिनांक 29.10.2021 के अनुसार नियमित कार्मिकों के समान नहीं होगी तथा इस संबंध में उसे जिस पद/श्रेणी के सापेक्ष नियोजित किया गया है, उस पद का प्रारम्भिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को जोड़कर जो भी धनराशि आंकलित की जायेगी, उसका भुगतान संबंधित कार्मिक को मानदेय के रूप में किया जायेगा।

(6) संबंधित कार्मिक वर्तमान में जिस पद के सापेक्ष कार्य कर रहा हो, उसी पद के वेतनमान के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जायेगा, परन्तु यदि कार्मिक के कार्य की प्रकृति में परिवर्तन किया गया है तो उसी पद/श्रेणी के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जायेगा, जिस पर उसे प्रारम्भिक रूप से कार्योजित किया गया हो।

(7) यदि कोई कार्मिक स्वीकृत पद के बिना कार्य कर रहा हो तो उसे समूह 'घ' के वेतनमान का न्यूनतम या उस संवर्ग के प्रारम्भिक (सीधी भर्ती के) पद के वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर अन्य समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाये। पद स्वीकृति के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से भविष्य में निर्णय लिया जायेगा।

(8) कार्मिकों को संबंधित विभाग एवं संबंधित कार्मिक के मध्य अनुबन्ध के तहत मानदेय का भुगतान सीधे किया जायेगा। विभागों द्वारा पात्र कार्मिकों को सीधे अनुबन्ध पर रखे जाने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा वित्त एवं न्याय विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग एवं कार्मिकों के मध्य अनुबन्ध की शर्तो का निर्धारण करते हुए अनुबन्ध का प्रारूप निर्गत किया जायेगा।

(9) विभाग द्वारा पात्र उपनल कार्मिकों की सूची तैयार की जायेगी, जिसका अनुमोदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त किया जायेगा। पात्र कार्मिकों के सत्यापन एवं अनुबन्ध आदि कार्यो का निष्पादन शासनादेश निर्गत होने के दो माह के अन्दर कर लिया जायेगा।

(10) प्रथम चरण में उपनल द्वारा प्रायोजित ऐसे उपनल कर्मियों, जिनके द्वारा पत्र संख्या–1433/XVII–C–1/12(18)रिट2018/2025, दिनॉक 25.11.2025 को 10 वर्ष की निरन्तर सेवायें पूर्ण कर ली गई हों, को ही प्रारम्भिक वेतनमान एवं महॅगाई भत्ते को जोड़कर, जो भी धनराशि आंकलित होगी, को मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।

(11) ऐसे पद, जिनके सापेक्ष उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उपनल कर्मियों को रखा जायेगा, उन पदों के सापेक्ष अधियाचन भेजने से पूर्व सम्बन्धित विभाग द्वारा न्यायिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के आलोक में कार्मिक, न्याय एवं वित विभाग की पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

(12) भविष्य में उपनल के माध्यम से मात्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बंधी कार्य सम्पादित किये जायेंगे, जो निर्धारित समय अवधि के लिए होंगे तथा नितांत अस्थायी होगें।

4. अतः कृपया विभागों में, उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के सन्दर्भ में, उपरोक्तानुसार नियमानुसार समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने एवं कृत

कार्यवाही से समय–समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

5. यह आदेश वित्त विभाग के ई–आफिस के माध्यम से ई–जनरेट संख्या–I/365889/2026 दिनॉक 29.01.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Deependra Kumar Chaudhari
Date: 03-02-2026 12:08:30

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्याः–I/367/36/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सज्ञानार्थ।
4. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल), देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JYOTI SINGH
Date: 03-02-2026
12:20:33

(ज्योति सिंह)
अनुसचिव।

संख्या 1/409688 /XVII-C-1/12(18) /2018 रिट ई-94794/2026)

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2- मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुंमाऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 01 जुलाई, 2026

विषयः- विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या- I/367134/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 TC, दिनांक 03 फरवरी, 2026 यथासंशोधित शासनादेश संख्या- I/373024/XVII-C-1/2026/12(18)/2016 रिट /2018, दिनांक 20 फरवरी, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 के द्वारा निर्धारित पात्रता की कट आफ डेट 12.11.2018 को संशोधित कर दिनांक 15.10.2024 निर्धारित किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2026 में जहाँ भी कट ऑफ डेट 12.11.2018 उल्लिखित है को कट ऑफ डेट 15 अक्टूबर, 2024 पढ़ा जाए।

3- अर्ह उपनल कार्मिकों को दिनांक 01 मार्च, 2026 से समान कार्य के लिये समान वेतन का लाभ प्रदान किया जायेगा।

4- उपनल कार्मिकों से सम्बन्धित अन्य विषयों अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले संबंधित मुद्दों पर मंत्रिमण्डलीय उपसमिति द्वारा विचार करते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही एवं संस्तुतियां की जायेंगी।

5- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 के अन्य प्रावधान/निर्णय यथावत लागू रहेंगे।

6- यह आदेश वित्त विभाग के ई ऑफिस के माध्यम से ई-कम्प्यूटर जेनेरेट

संख्या–I/409650/2026 दिनांक 01 जुलाई 2026 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

Digitally signed by
Yugal Kishore Pant
Date: 01-07-2026
17:39:29

भवदीय,

(युगल किशोर पन्त)
सचिव

संख्या:I/409688/XVII-C-1/12(18)/2018 रिट ई–94784/2026)(1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
5– मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6– निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7– निदेशक, विभागीय लेखा, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– प्रभारी मीडिया सेन्टर सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

(युगल किशोर पन्त)
सचिव

संख्या:– I/373024 /XVII-C-1/2026/12(18)रिट/2018

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग   देहरादून: दिनांक 20 फरवरी, 2026

विषय:– विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को सम्बन्धित पद के न्यूनतम वेतन के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या– I/367134/XVII–C–1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनाँक 03 फरवरी, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों के संबंध में जनहित याचिका संख्या–116/2018 'कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य' में, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनाँक 12.11.2018 को पारित आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या–I/367134/XVII–C–1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनाँक 03 फरवरी, 2026 के प्रस्तर–3 के उपप्रस्तर (10) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(10) "कट ऑफ डेट दिनाँक 12.11.2018 तक निरन्तर नियोजित सभी उपनल कार्मिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा, जिसके प्रथम चरण में दिनाँक 01.01.2016 से पूर्व निरन्तर योजित उपनल कार्मिकों को तथा तदोपरान्त चरणबद्ध रूप से कट ऑफ डेट तक के निरन्तर योजित उपनल कार्मिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।"

3. शासनादेश संख्या–I/367134/XVII–C–1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनाँक 03 फरवरी, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनाँक 03.02.2026 के अन्य प्रावधान/निर्णय यथावत रहेंगे।

4. ये आदेश वित्त विभाग के ई–ऑफिस के माध्यम से ई–जनरेट संख्या– I/372508/2026, दिनाँक 18.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Deependra Kumar Chaudhari
Date: 20-02-2026 11:26:07

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या:–   (1) /XVII-C-1/2025/12(18)रिट/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०(उपनल), देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JYOTI SINGH
Date: 20-02-2026
11:33:24

(ज्योति सिंह)
अनुसचिव।

संख्या– /xxvii(10)/2025–ई–77101/2024

प्रेषक,

सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. मण्डलायुक्त,
कुमॉऊ/गढवाल मण्डल,
उत्तराखण्ड।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 **देहरादूनः दिनांक मार्च, 2025**

विषय :– एकीकृत पेंशन योजना (UPS) हेतु आवेदन एवं विकल्प प्रारूपों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञानित कराना है कि वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–283120, दिनांक–18.03.2025 के द्वारा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाऐं विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–सी0जी0–डी0एल0– अ0–25012025–260482, दिनांक 24 जनवरी, 2025 के माध्यम से प्रख्यापित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत करते हुए, दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया है।

2– तत्क्रम में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की अधिसूचना संख्या–सी0जी0–डी0एल0–अ0–20032025–261726, दिनांक–19 मार्च, 2025 के द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 निर्गत किये गये है।

3– अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यान्तर्गत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी/लागू होने के दृष्टिगत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के अध्याय–II के विनियम–3 (योजना को अपनाने हेतु 3 माह एवं 1 माह की समय सीमावधि) एवं अध्याय–III के विनियम–4 में उपबन्धित व्यवस्थानुसार राज्यान्तर्गत उक्त योजना को विकल्प के रूप में चयनीत किये जाने हेतु आवेदन एवं विकल्प प्रारूप– A1&A2 (हिन्दी एवं अंग्रजी) संलग्नकर समस्त आच्छादित कार्मिकों के मध्य प्रचारित किये जाने के आशय से सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध कराये जा रहे है। इच्छित कार्मिक IFMS पर HRMS में Login कर उक्त Form को भर सकते है, जिसे आधार (Aadhar) लिंक के माध्यम से e-sign के विकल्पानुसार पूर्ण किया जायेगा।

4– पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की अधिसूचना संख्या–सी0जी0–डी0एल0–अ0–20032025–261726, दिनांक–19 मार्च, 2025 के द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 के द्वारा निर्गत अन्य प्रारूप पृथक से प्रचारित/निर्गत किये जायेंगे।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 वी0 षणमुगम)
सचिव।

संख्या– /xxvii(10)/2025–ई–77101/2024,तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) नई दिल्ली।
4. उपाध्यक्ष, एन0एस0डी0एल0 ई–गवनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मुम्बई।
5. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

6. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
8. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. निदेशक, कोषागार, पेंशन एव ंहकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. बजट अधिकारी, साईबर कोषाागार, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

संलग्नक

प्रारूप (फॉर्म) A1

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) – अभिदाता पंजीकरण फॉर्म – सरकारी क्षेत्र एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत शामिल किये जाने वाले विकल्प का प्रयोग और इसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए						
सी0आर0ए0 का नाम						**3.5 सेमी x 2.5 सेमी आकार/पासपोर्ट आकार की वर्तमान तस्वीर चिपकाएं (न हस्ताक्षर/न स्टेपल/न क्लिप करें)**
मेरा पी0आर0ए0एन0 हिन्दी में प्रिंट करें		**हॉ**		**नही**	**यदि हॉ, तो कृपया अनुबंध 1 के अनुसार विवरण प्रस्तुत करें**	
अपनी श्रेणी चुनें (कृपया चिहिन्त करें (√)					**राज्य सरकार**	
सेवा में, **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट** **महोदय/महोदया,**						

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ....जिसने .... को राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश किया है और मैंने केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना एफ0सख्या–एफ0एक्स0–1/3/2024–पी0आर0, दिनांक–24.01.2025 के क्रम में राज्य सरकार के वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–283120/xxvii(10)/2025–ई–77101/ 2024, दिनांक–18 मार्च, 2025 एवं पी0एफ0आर0डी0ए0 (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 समय–समय पर यथासंशोधित, द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यू0पी0एस0) के प्रावधानों को पढ और पूरी तरह से समझ लिया है और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होने के कारण, मैं एकीकृत पेंशन योजना (यू0पी0एस0) के तहत शामिल किये जाने का विकल्प चुनता/चुनती हूँ। इसके अलावा, मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रयोग किया गया यह विकल्प अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा। मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार मेरे नाम पर एक यू0पी0एस0 खाता खोला जाय:

* अनिवार्य क्षेत्रों को इंगित करता है। कृपया अंग्रेजी और ब्लॉक अक्षरों में फॉर्म भरें (निर्देश पृष्ठ पर सामान्य दिशा निर्देश देखें)

1.व्यक्तिगत विवरण : (निर्देशों का क्रम संख्या 1 देखें) अनुलग्नक II का प्रयोग करें यदि नाम नीचे दिये गये स्थान से अधिक स्थान लें

अभिवादन (शीर्षक)*	श्री		श्रीमती		कुमारी				
आवेदक का नाम*									
पिता का नाम									
माता का नाम									
अनाथ होने की स्थिति*		हाँ		नहीं					
पिता या माता का नाम अनिवार्य है* पी0आर0ए0एन0 कार्ड पर प्रदर्शित होने वाला नाम चुनें*							पिता का नाम		माता का नाम
जन्म तिथि*	d	d	M	M	y	y	y	y	
जन्म स्थान*									
देश, जहां जन्म हुआ हो*									
पी0ए0एन*							राष्ट्रीयता *		
आवेदक लिंग*		पुरूष		महिला		ट्रॉसजेंडर		अविवाहित	विवाहित

		वैवाहिक स्थिति*				

कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी का लिंग (यदि विवाहित है)*		पुरुष	महिला	ट्रांसजेडर	कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी जन्मतिथि (यदि विवाहित है)*	
कानूनी रूप से विवाहित पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित है)						

आय सीमा (प्रति वर्ष)*		1 लाख से कम		1 लाख से 5 लाख		5 लाख से 10 लाख	10 लाख से 25 लाख	25 लाख से 1 करोड़	1 करोड़ से ज्यादा

कृपया चिहि्त करें, यदि लागू हो	राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति		राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति से संबंधित	(निर्देश संख्या 1 देखें)

2. पहचान और पते का प्रमाण (पी0ओ0आई0/पी0ओ0ए0)*(निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत किया जाना है)

पासपोर्ट		पासपोर्ट की समाप्ति तिथि	
ड्राविंग लाइसेंस		ड्राविंग लाइसेंस की समाप्ति	
सरकारी आई0डी0 कार्ड		वोटर आई0डी0 कार्ड	
सीकेवाईसी नंबर			
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर			
आधार का प्रमाण		अंतिम चार अंक प्रदान करें। प्रस्तुत प्रति पर आधार संख्या के पहले 8 अंकों को हटा दें या ब्लैक–आउट करें (निर्देश का क्रम संख्या 2 देखें)	

3. पता विवरण*

लाइन 1			
लाइन 2			
जिला		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
देश		पिन कोड	

4. संपर्क विवरण*

मोबाइल*		एसटीडी कोड सहित टेलीफोन	
ईमेल आइडी*			

5. बैंक विवरण (प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–निर्देशों का क्रम संख्या 3 देखें)

खाते का प्रकार	बचत खाता		वर्तमान खाता	
बैंक खाता संख्या				

बैंक का नाम											आईएफएस कोड										

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि प्रदान किए गए बैंक खाते विवरण वेतन बैंक खाता है।

6. पेंशन निधि (पीएफ) और निवेश विकल्प का चयन * (निर्देशों का क्रम संख्या 4 देखें)

कृपया चिन्हित करें(√)एक		डिफॉल्ट पैटर्न (पेंशन फंड और डिफॉल्ट निवेश पैटर्न)
		मैं अपना पेंशन फंड और निवेश विकल्प स्वयं चुनना चाहता/चाहती हूं (कृपया नीचे चयन करें)

पेंशन फंड (कृपया चिन्हित करें (√)एक)				**निवेश विकल्प** (कृपया चिन्हित करें (√) एक)		
	आदित्य बिरला सनलाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड		एक्सिस पेंशन फण्ड मैनेजमेंट लिमिटेड			
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड		एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	सक्रिय विकल्प (यानी सरकारी प्रतिभूतियों में 100%)		
	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड		कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	या		
	एलआईसी पेंशन फंउ लिमिटेड		मैक्स लाइफ पेंशन फंड लिमिटेड	ऑटो विकल्प	कंजर्वेटिव (LC25)	
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड		टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड		मॉडरेट (मध्यम) (LC50)	
	यूटीआई पेंशन फंड लिमिटेड					

यदि कोई पैटर्न (पेंशन फंड, निवेश विकल्प) नहीं चुना जाता है, तो अंशदान डिफॉल्ट पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाएगा।

7. एफएटीसीए* (FATCA)(विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम) और सीआरएस घोषणा (अनुदेश की क्रम संख्या 5 देखें):

मैं भारत का कर–निवासी हूं और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूं		मैं निम्नलिखित देश का कर निवासी हूं		
अमेरिकी नागरिक		हॉ		नहीं

विवरण		देश (1)	देश (2)	देश (3)
टैक्स रेजीडेंसी का/के देश				
कर निवास के लिए अधिकार क्षेत्र का पता	पता पंक्ति 1			
	शहर/कस्बा/गांव			
	राज्य			
	जिप/पोस्ट कोड			
कर पहचान संख्या (टीआईएन/कार्यात्मक समकक्ष संख्या)				
टीआईएन/कार्यात्मक समकक्ष संख्या जारी करने वाला देश				
प्रदान किए गए दस्तावेजी साक्ष्य की वैधता (जहां भी लागू हो)		ddmmyyyy	ddmmyyyy	ddmmyyyy

मैंने फॉर्म की सूचना आवश्यकता को समझ लिया है (एफएटीसीए/सीआरएस निदेशों और नियमों और शर्तों के साथ पढ़ें) और एतद्द्वारा पुष्टि करता/करता हूं कि इस फॉर्म पर मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गयी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और इसके द्वारा इसे स्वीकार करता/करती हूं।	आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान* (निर्देश देखें)

8. आवेदक द्वारा घोषणा* (निदेशों का क्रम 6 देंखे)

मैंने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी और दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं। मेरे द्वारा दी गयी जानकारी में किसी भी बदलाव की सूचना सीआरए/एनपीएस ट्रस्ट को दी जाएगी। मैं समझता/समझती हूं कि मैं किसी भी झूठी या गलत जानकारी या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी। मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक नियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के उद्देश्य के लिए मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं। **धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत घोषणा** मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा/मेरी ओर से भुगतान किया गया अंशदान, आय के कानूनी रूप से घोषित और मूल्यांकन किए गए स्रोतों से लिया गया है। मैं समझता/समझती हूं कि एनपीएस ट्रस्ट को मेरी वित्तीय प्रोफाइल को पढ़ने या अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करने का अधिकार है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि यदि मैं मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) की रोकथाम से सम्बन्धित किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता/जाती हूं तो एनपीएस ट्रस्ट को मेरे पीआरएएन को बंद करने का अधिकार है। दिनांक | | | | | | | | स्थान	**आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान*** (*पुरुषों के मामले में बाएं अंगूठे का निशान और महिलाओं के मामले में दाएं अंगूठे का निशान प्रदान किया जायेगा। हाथ न होने की स्थिति में पैर की अंगुली का छाप)

9. नोडल अधिकारी द्वारा घोषणा (सभी *चिन्हित स्थान अनिवार्य हैं)

रोजगार विवरण (यूपीएस विकल्प के प्रयोग के समय)

सेवा प्रारम्भ होने की तिथि*									सेवानिवृत्ति की तिथि*								
अर्हक सेवा प्रारम्भ होने की तिथि#																	

कर्मचारी कोड/आईडी*	
पदनाम (वैकल्पिक)	

ग्रुप (वैकल्पिक)	A		B (राजपत्रित)		B (अराजपत्रित)		C		D		E		अन्य
सेवा (वैकल्पिक)	आईएएस		आईपीएस		आईएफएस		ग्रुप A		ग्रुप B		अन्य		

मूल वेतन*	
वेतनमान (वैकल्पिक)	
कार्यालय का नाम*	

विभाग*			
मंत्रालय*			
डीडीओ पंजीकरण संख्या*		पीओ/सीडीडीओ/पीआरएओ पंजीकरण संख्या*	

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...इस कार्यालय में कार्यरत हैं और इस अभिदान पंजीकरण फॉर्म में दिये गये विवरण सेवा रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापित किए गए हैं। केवाईसी के दिये गये पते और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) को इस कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसके अलावा, यह आगे प्रमाणित किया जाता है कि उसने प्रविष्टियों को पढ़ा है/प्रविष्टियायें को हमारे द्वारा पढ़कर उसे समझाया गया है और कर्मचारी द्वारा इसकी पुष्टि की गयी है।

डीडीओ का नाम		पीएओ का नाम	
डीडीओ के हस्ताक्षर		पीएओ के हस्ताक्षर	
डीडीओ कोड नं. (सीआर सिस्टम में रिकॉर्ड के अनुसार)		पीएओ कोड नं. (सीआरए सिस्टम में रिकॉर्ड के अनुसार)	
डीडीओ की मुहर		पीएओ की मुहर	
दिनांक		दिनांक	
स्थान		स्थान	

पावती

अभिदाता का नाम	
आवेदक प्राप्त होने की तिथि:	

अभिदाता रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के निर्देश

सामान्य दिशा–निर्देश

क. कृपया त्रुटियों से बचने के लिए साफ–सुथरी हस्तलिपि में फॉर्म भरें। ओवरराईटिंग न करें। किसी भी संशोधन पर आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। यदि आवेदन किसी भी प्रकार से अधूरा है (या) अनिवार्य फील्ड खाली छोडी गयी है (या) तस्वीर अस्पष्ट है (या) आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं है (या) नोडल कार्यालय द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

ख. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां स्वयं–सत्यापित होनी चाहिए।

ग. आवेदक को उस नामित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/मुद्रांकित रसीद सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है, जहां वे अपना आवेदन जमा करते हैं।

क्र0 सं0	मद संख्या	आइटम विवरण	निर्देश
1	1	पिता का नाम, माता का नाम	(क) यदि नाम में 30 से अधिक अंक हैं, तो इसके लिए अनुलग्नक II भरें। (ख) यदि आवेदक अनाथ है, तो वह स्थान को खाली छोड़ सकता है। हांलाकि, स्थिति का समर्थन करने के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा।
		राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति	राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति (पीईपी) वे व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रमुख सार्वजनिक कार्यों जैसे कि राज्य या सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी सौंपें गए हैं।
2	2	पहचान का प्रमाण	यदि आवेदक पहचान के प्रमाण के रूप में आधार जमा कर रहा है, तो आधार संख्या के पहले 8 अंकों को प्रस्तुत प्रति पर संशोधित/मास्क किया जाना चाहिए।
3	5	बैंक विवरण	भौतिक फॉर्म (फॉर्म ए 1) के माध्यम से यूपीएस खाता खोलने के लिए, बैंक विवरण और दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य हैं। कृपया एक रद्द चेक/बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/बैंक प्रमाणपत्र/बैंक से पत्र की प्रति जिसमें आवेदक का नाम, बैंक नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड हो, जमा करें।
4	6	पेंशन फण्ड (पीएफ) और निवेश विकल्प का चयन	सरकारी कर्मचारी/अभिदाता पेंशन निधियों के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और अपने निवेशों को या तो 'सक्रिय विकल्प' के अंतर्गत आस्ति वर्ग 'जी' में या'ऑटो विकल्प' के अंतर्गत जीवन चक्र निधि–एलसी 50 या एलसी 25 में आवंटित कर सकते हैं।
5	7&8	FATCA&CRS घोषणा/आवेदक द्वारा हस्ताक्षर	भारतीय क्षेत्र के बाहर कर उद्देश्यों के लिए आवेदक के निवास की स्थिति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण/दिशा–निर्देश: • कर निवास क्षेत्रः चूंकि अमेरिका अपने नागरिकों की वैश्विक आय पर कर लगाता है, इसलिए हर अमेरिकी नागरिक, चाहे उसकी कोई भी राष्ट्रीयता हो, अमेरिका में कर उद्देश्यों के लिए निवासी माना जाता है। • कर पहचान संख्या (टी आईएन): यदि संबंधित क्षेत्र द्वारा टी आईएन जारी नहीं किया गया है, तो इसकी सूचना देना आवश्यक नहीं है। हालांकि, यदि उस क्षेत्र ने उच्च स्तरीय पहचान संख्याः (कार्यात्मक समकक्ष) जारी की हो, तो उसकी जानकारी देना आवश्यक है। ऐसे नंबरों के उदाहरणों में सामाजिक सुरक्षा/बीमा नम्बर, नागरिक/व्यक्तिगत पहचान/सेवा कोर्ड/नम्बर तथा निवासी पंजीकरण संख्या शामिल हैं। • यदि आवेदक अपनी अमेरिकी व्यक्ति स्थिति को 'नहीं' घोषित कर रहा है, लेकिन उसका जन्म स्थान अमेरिका है, तो उसे नागरिगता त्याग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा या नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र न होने के कारण बताने होंगे। • यदि आवेदक अपनी अमेरिकी व्यक्ति स्थिति को 'हाँ' घोषित कर रहा है, तो उसे पीएएन और 'पिता का नाम' के साथ फॉर्म के अनुभाग 9 के तहत आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा। • यदि आवेदक हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं, तो पुरुष के मामले में बाएं हाथ का अंगूठे का निशान और महिला के मामले में दाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाया जाना चाहिए। यदि आवेदक के हाथ नहीं हैं, तो पैर की अंगुली का निशान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंगूठे/पैर की अंगूली के निशान की पुष्टि दो व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें से एक को उक्त निशान को अपने आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित करना होगा।

अभिदाताओं के लिए सामान्य जानकारी

क) अभिदाता सीआरए और संबंधित नोडल कार्यालय से अपने आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकता है।

ख) अभिदाताओं को उस नामित नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/मुद्रांकित रसीद सरक्षित रखने की सलाह दी जाती है, जहां वे अपना

आवेदन जमा करते हैं।

ग) अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, सीआरए से सम्पर्क करें:

बेवसाईटः https://npscra.nsdl.co.in/

पता-

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पहली मंज़िल, टाइम्सटॉवर, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअरपरेल, मुम्बई – 400013

टेलीफोन 020 6906 6906 **फैक्स** (022) 2495 2594/ 2499 4974

पंजीकृत सब्सक्राइबर के लिए टोल-फ्री नंबर (PRAN अनिवार्य है)

एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए – 1800 2100 080

एनपीएस नोडल अधिकारियों के लिए - 1800 2100 081

अनुलग्नक– सरकारी क्षेत्र के आवेदकों के लिए अभिदाता पंजीकरण फॉर्म (नीचे लागू अनुलग्नकों को टिक करें और भरें)

	अनुलग्नक–1 पीआरएएन कार्ड हिंदी में प्रिंट करें (देवनागरी लिपि में विवरण भरें)
आवेदक का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	
पिता/माता का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	

	अनुलग्नक II-यदि नाम के अक्षर आवेदन पत्र के पृष्ठ 1 पर दिए गए स्थान से अधिक हैं
आवेदक का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	
पिता/माता का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	
माता का पहला नाम	
मध्य नाम	
कुलनाम	

प्रारूप (फॉर्म) A2

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पहले से ही पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारी के द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अन्तर्गत आने के लिए विकल्प का चयन

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ....दिनांक—01 अप्रैल, 2025 को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पी0आर0ए0एन0) .... के साथ एन0पी0एस0 का एक अभिदाता होने के नाते, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना एफ0सख्या—एफ0एक्स0—1/3/2024—पी0आर0, दिनांक—24.01. 2025 के क्रम में राज्य सरकार के वित्त अनुभाग—10, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या—283120/xxvii(10)/2025—ई—77101/2024, दिनांक—18 मार्च, 2025 एवं पी0एफ0आर0डी0ए0 (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 समय—समय पर यथासंशोधित, अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यू0पी0एस0) के प्रावधानों को पढ़कर और पूरी तरह से समझकर, और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होने के नाते, एकीकृत पेंशन योजना (यू0पी0एस0) के अन्तर्गत आने के लिए विकल्प का चयन करता/करती हूँ।

उक्त के अतिरिक्त, मै एतदद्वारा स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रयोग किया गया यह विकल्प अन्तिम और अपरिवर्तनीय होगा।

मै सी0आर0ए0, एन0पी0एस0 ट्रस्ट या यू0पी0एस0 से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पी0एफ0आर0डी0ए0 अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए, मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा/विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।

दिनांक .... **अभिदाता के हस्ताक्षर**

स्थान .... **नाम ....**

(सेवा अभिलेखों के आधार पर डी0डी0ओ0 द्वारा भरा और प्रमाणित किया जाना है)

रोजगार विवरण (यू0पी0एस0 विकल्प के चयन के समय)	
कर्मचारी कोड/आई0डी0	
अर्हक सेवा की शुरूआत की तारीख (विनियम 13 के साथ पठित विनियमन 2(ट) में परिभाषित अर्हक सेवा)	
वर्तमान माह का मूल वेतन	
गैर—अभ्यास (गैर—प्रैक्टिसिंग) भत्ता (एन0पी0ए0), यदि लागू हो	
अगली वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित तिथि	

डी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर और नाम	पी0ए0ओ0 के हस्ताक्षर और नाम
डी0डी0ओ0 पंजीकरण संख्या	पी0ए0ओ0 पंजीकरण संख्या
दिनांकः स्थानः	दिनांकः स्थानः

नोट/निर्देशः

- इस फॉर्म की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति डी0डी0ओ0 द्वारा कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में रखी जाएगी और उसकी एक प्रति कर्मचारी को उसके रिकॉर्ड के लिए प्रदान की जायेगी।
- डी0डी0ओ0 कार्यालय द्वारा सत्यापित डेटा को केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण प्रणाली (सी0आर0ए0 सिस्टम) में दर्ज करेगा और अभिदाता द्वारा फॉर्म के भौतिक रूप से जमा करने की स्थिति में, डी0डी0ओ0 इस विधिवत हस्ताक्षरित विकल्प फॉर्म की एक प्रति अपलोड करेगा। पी0ए0ओ0 अपने लॉगिन के माध्यम से सी0आर0ए0 प्रणाली में अभिदाता द्वारा प्रयोग किये गये विकल्प को अधिकृत और अनुमोदित करेगा।

Form A1

UNIFIED PENSIONS CHEME (UPS)–SUBSCRIBER REGISTRATION FORM-Government Sector						
Exercise of Option to be coverd under Unified Pension Scheme (UPS) and to availits Benefits						
Name of CRA						Paste recent photograph of 3.5cmx2.5cm size / passport size(Donot sign across/staple/ clip)
Printmy PRAN in Hindi		Yes		No	If yes, please submit details asper Annexure I	
Select your category [Please tick (√)]					State Government	
To, National Pension System Trust Dear Sir/Madam,						

I,..Son/Daughter of Mr /Mrs……….………………………having joined State Government service on........................and having read and fully understood the provisions of the Unified Pension Scheme (UPS) as notified by the state Government vide notification F.No. 283120/xxvii(10)/2025-E-77101/2024, dated 18.03.2025 in sequence of Central Government vide notification F.N. FX-1/3/2024-PR, Dated 24.01.2025 In order of and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025, as amended from time to time, and being eligible to opt for Unified Pension Scheme, do here by exercise the option to be covered under Unified Pension Scheme (UPS). Further, I here by acknowledge that this option exercised by me shall be final and irrevocable. I hereby request that an UPS account be opened in my name as per the particulars given below:

*indicates mandatory fields. Please fill the for min English and BLOCK letters (Refer general guidelines at instructions page.)

1. PERSONAL DETAILS: (Refer Sr. No. 1 of the instructions) *Use Annexure II if name exceeds the space provided below*

Salutation*		Shri		Smt		Kumari		
Applicant Name*								
Father's Name								
Mother's Name								
Orphan Status*		Yes		No				
Either Father's or Mother's name is mandatory* Select the name to appear on PRAN Card*					Father's Name		Mother's Name	
Date of Birth*	d d m m y y y y							
Place of Birth*								
Country of Birth*								
PAN*				Nationality*				
Applicant Gender*		Male		Female		Transgender	Marital Status*		Unmarried		Married
Legally wedded Spouse Gender *(if married)* *		Male		Female		Transgender	Legally wedded Spouse DOB *(if married)* *	
Legally wedded Spouse Name (if married)*								
Income Range (per annum) *		Below 1 lac		1lacto5lac		5lacto10lac		10lacto 25 lac		25lacto 1 Cr		Above1 Cr
Please Tick if Applicable		Politically exposed person		Related to Politically exposed person		(Refer instruction no. 1)		

2.PROOFOFIDENTITYandADDRESS(POI/POA)*(Anyoneofthefollowingtobesubmitted)

Passport		Passport Expiry Date	
Driving License		Driving License Expiry Date	
Government ID Card		Voter IDCard	
CKYC Number			
National Population Register			
Proof of possession of Aadhaar		Provide last Four Digits. Redact or black-out first 8 digits of the Aadhaar number on submitted copy (Refer Sr. No. 2 of the instruction)	

3.ADDRESSDETAILS*

Line1	
Line2	V I L L A G E / C I T Y

District		State/U.T.	
Country		PIN Code	

4.CONTACTDETAILS*

Mobile*		Telephone with STD code	
Email ID*			

5.BANKDETAILS*(Prooftobesubmitted-ReferSr.No.3oftheinstructions)

Account Type		Saving A/c		Current A/c
Bank A/c Number				
Bank Name			IFS Code	

I hereby declare that, the bank account detail provided are salary bank account.

6.SELECTION OF PENSION FUND (PF) AND INVESTMENT CHOICE*(Refer Sr no. 4ofthe instructions)

Please Tick (√) one		**Default Pattern (pension funds and investment Pattern as determined by the Authority)**
		I would like to choose my Pension Fund and investment choice (Please select below)

Pension Fund (PleaseTick(√)one)				**Investment Choice** (Please Tick(√)one)		
	Aditya Birla Sunlife Pension Mgmt Ltd		Axis Pension Fund Mgmt Limited			
	DSP Pension Fund Managers Pvt Ltd		HDFC Pension Fund Mgmt Ltd	Active Choice (i.e.100%inGovt Securities)		
	ICICI Prudential Pension Funds Mgmt Co Ltd		Kotak Mahindra Pension Fund Ltd	**or**		
	LIC Pension Fund Limited		Max Life Pension Fund Mgmt Ltd	Auto Choice	Conservative (LC25)	
	SBI Pension Funds Private Limited		TATA Pension Management Private Ltd		Moderate (LC50)	
	UTI Pension Fund Limited					

If no Pattern is chosen, the contributions will be invested as per default Pattern

7.FATCA*(Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS DECLARATION (Refer Srno. 5of the instruction):

I am a tax resident of India and not resident of any other country		I am a tax resident of the country/ies mentioned below		
US Person		Yes		No

Particulars		Country(1)	Country(2)	Country(3)
Country/countries of Tax Residency				
Address in the jurisdiction forTax Residence	AddressLine1			
	City/Town/ Village			
	State			
	ZIP/Post Code			
Tax Identification Number (TIN)/Functional equivalent Number				
TIN/Functional equivalent Number Issuing Country				
Validity of documentary evidence provided (Wherever applicable)		ddmmyyyy	ddmmyyyy	ddmmyyyy

IhaveunderstoodtheinformationrequirementoftheForm(readalongwiththeFATCA/ CRS Instructions and Terms & Conditions) and hereby confirm that the information providedbyme/usonthisFormistrue,correctandcompleteandherebyacceptthesame.	Signature/Thumb Impression* of Applicant (refer instructions)

8.DECLARATIONBYAPPLICANT*(ReferSrno.6oftheinstructions)

I have read and understood the terms and conditions of the Unified Pension Scheme(UPS).The information and documents furnished by me are true and correct, to the best of my knowledge. Any changes in the information furnished by me shall be informed to CRA / NPS Trust. I understand that I shall be fully liable for submission of any false or incorrect information or documents. I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/ details of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified the reunder. **Declaration under the Prevention of Money Laundering Act, 2002** I hereby declare that the contribution paid by me/on my behalf has been derived from legally declared and assessed sources of income. I understand that NPS Trust has the right to peruse my financial profile or share the information, with other government authorities. I further agree that NPS Trust has the right to close my PRAN in case I am found violating the provisions of any law relating to prevention of money laundering.	Signature/Thumb Impression*of Applicant (*LTI in case of males and RTI in case of females to beprovided.Toe impression in case no hands)
Date | | | | | | | | Place	

9.DECLARATION BY NODAL OFFICER (All*Mark fields are Mandatory)

Employment Details (At the time of exercise of UPS option)

Date of joining*									Date of Superannuation*														
Date of commencement of qualifying service*																							
Employee Code/ID*																							
Post(Optional)																							
Group(Optional)	A		B (Gazetted)		B (non-Gazetted)		C		D		E		other										
Service(Optional)	IAS		IPS		IFS		Group A		Group B		other												
Basic Pay*																							
Pay Scale(Optional)																							
Name of the office*																							
Department*																							
Ministry*																							
DDO Registration Number*		PAO/CDDO/Pr AO Registration Number*																					

*Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation 13of PFRDA(Operationalisation of Unified Pension Scheme under NPS) Regulations, 2025.
It is certified that Shri./Smt./Kumari…is employed in this office and the details provided in this subscriber registration form have been verified as per service record. The given address and officially valid documents (OVDs) of KYC are verified by this office. Also, it is further certified that he/she has read entries/entries have been read over him/her by us and got confirmed by him/her.

Name of DDO		Name of PAO	
Signature of DDO		Signature of PAO	

DDO Code No. (As per record in CRA System)		PAO Code No. (As per record in CRA System)	
Seal of DDO		Seal of PAO	
Date		Date	
Place		Place	

ACKNOWLEDGEMENT

Name of the Subscriber	
Date of Receipt of Application:	

INSTRUCTIONSFORFILLINGTHE SUBSCRIBERREGISTRATIONFORM

General guidelines

(a) Please fill in legible handwriting to avoid errors. Do not over write. Corrections should be countersigned by the applicant. Applications incomplete in any aspect (or) if mandatory fields are left blank(or) with unclear photograph (or) not accompanied by required documents (or) not authenticated by the Nodal Office are liable to be rejected.

(b) Copies of documents submitted by the applicant should be self-attested.

(c) Applicant is advised to retain the acknowledgement slip signed / stamped by the designated nodal officer where they submit the application.

SI	Item No	Item Details	Instructions
1	1	Fathers Name, Mother's Name	(a) If the name has more than30 digits, fill Annexure II for the same. (b) If the applicant is an Orphan, he/she may leave the fields blank. However, an official document to support the status to be submitted.
		Politically Exposed Person	Politically Exposed Person's (PEPs) are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions such as heads of state or of the government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, important political party officials
2	2	Proof of Identity	If the applicant is submitting Aadhaar as proof of Identity, the first 8 digits of the Aadhaar number should be redacted / masked on the submitted copy.
3	5	Bank Details	For UPS account opening through physical form (FORM A1) bank details and documentary proof are mandatory. Please submit a cancelled cheque / copy of bank pass book/bank statement/bank certificate/letter from Bank containing applicant's Name, Bank Name, Bank Account Number and IFS Code.
4	6	Selection of Pension Fund (PF)& Investment Choice	Government employee/subscribers can exercise choice of Pension Funds and allocate their investments either in Asset Class 'G' under 'Active Choice' or in Life Cycle Funds - LC 50 or LC 25 under 'Auto Choice'. If no choice is provided, the contributions will be distributed among the default Pension Funds and investment pattern selected by the Government.
5	**7&8**	FATCA& CRS Declaration/ Signatureby Applicant	Clarification/Guidelines on filling details if applicant residence for tax purposes in jurisdiction(s) outside India: • Jurisdiction(s) of Tax Residence: Since US taxes the global income of its citizen, every US citizen of whatever nationality, is also a resident for tax purpose in USA. • Tax identification Number (TIN) : TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an equivalent level of identification (a "Functional equivalent"), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personal identification/services code/number and resident registration number). • In case applicant is declaring US person satus as 'No' but his/her Country of Birth is US, document evidencing Relinquishment of Citizenship should be provided or reasons for not having relinquishment certificate is to be provided. • In case applicant is declaring US person status as 'Yes', provide PAN and 'father name' in addition to details required under section 9 of form. • In case the applicant is unable to affix signature, Left Thumb Impression in case of male and Right Thumb Impression in case of female should be affixed and in case there is no hands, toe impression of the applicant to be provided. The thumb / toe impression should be attested by two persons, one of whom should be the designated nodal officer attesting the same under his/her official seal and stamp.

General Information for Subscribers

a) The Subscriber can obtain the status of his/her application from CRA and respective Nodal Office.
b) Subscribers are advised to retain the acknowledgement slip signed/stamped by the designated respective nodal office where they submit the application.
c) For more information/clarifications, contact CRA: Website: https://npscra.nsdl.co.in/

Address-

Protean eGov Technologies Limited 1st Floor, Times Tower, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

Tel. 020 6906 6906 **Fax** (022) 2495 2594/ 2499 4974

Toll-Free Number For Registered Subscriber (PRAN is Mandatory)

For NPS Subscriber – 1800 2100 080

For NPS Nodal Officers - 1800 2100 081

Annexures-SubscriberRegistrationFormforGovernmentSectorapplicants*(Tickandfillapplicable annexure below)*	
	Annexure I- Print PRAN Card in Hindi (Fill the details in Devanagari script)
Applicant's First Name	
Middle Name	
Last Name	
Father/Mother's First Name	
Middle Name	
Last Name	
	Annexure II-If Alphabets of name exceeded the space provided on page 1of the application form
Applicant's First Name	
Middle Name	
Last Name	
Father's First Name	
Middle Name	
Last Name	
Mother's First Name	
Middle Name	
Last Name	

Form A2

Exercise of Option by an eligible State Government employee presently subscribed to National Pension System (NPS) for being covered under Unified Pension Scheme (UPS)

I,..Son/Daughter of Mr./Mrs..being a subscriber
Of NPS as on 01/04/2025 with permanent retirement account number (PRAN)............................,having read and fully
Understood the provisions of Unified Pension Scheme (UPS) as notified by the state Government vide notification F.No. 283120/xxvii(10)/2025-E-77101/2024, dated 18.03.2025 in sequence of Central Government vide notification F.N. FX-1/3/2024-PR, Dated 24.01.2025 and PFRDA (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 as amended from time to time, and being eligible to opt for Unified Pension Scheme, do hereby exercise the option to be covered under Unified Pension Scheme (UPS).

Further, I here by acknowledge that this option exercised by me shall be final and irrevocable.

I authorize the CRA, NPS Trust or any other entity connected with UPS to collect and share data/detail of my necessary personal information for the purpose of the said scheme regulated under the PFRDA Act, 2013 and the relevant regulations notified there under

Date:-------------- Signature of Subscriber
Place:--------------

Name------------------------

(To be filled and certified by the DDO based on Service records)

Employment Details (At the time of exercise of UPS option)	
Employee Code/ID	
Date of commencement of qualifying service *(Qualifying Service as defined in Regulation 2(k) read with Regulation13)*	
Current month Basic Pay	
Non-Practicing Allowance (NPA), if applicable	
Schedule date for next increment	

Signature & Name of DDO	Signature & Name of PAO
DDO Reg No. .	PAO Reg No. .
Date: Place:	Date : Place:

Note/Instruction:

- The duly signed copy of this Form shall be kept by DDO in employee's service record and a copy of the same shall be
  Provided to the employee for his record.
- DDO shall in put the Head of Office verified data in the Central Record Keeping System and in case of physical submission of form by the subscriber, the DDO shall upload a copy of this duly signed option form. PAO shall authorize and approve the option exercised by the subscriber in the CRA system through their login.

संख्या–232609/XXIV–2/24–25(09)2023

I/232609/2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक।5अगस्त, 2024

विषय– राज्य में विद्या समीक्षा केन्द्र के संचालन हेतु Project Implementation Unit (PIU) के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0प0का0/2485/VSK/2023–24, दिनांक–03.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य मे विद्या समीक्षा केन्द्र के संचालन एवं विधिवत् उपयोग हेतु Project Implementation Unit (PIU) की स्थापना किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

02– प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य में विद्या समीक्षा केन्द्र के विधिवत् संचालन एवं उपयोग हेतु Project Implementation Unit (PIU) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नवत् तालिका में वर्णित पदों को सृजित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	भर्ती का स्रोत	अर्हता
1.	राज्य परि0 निदेशक समग्र शिक्षा	संवर्गानुसार	01	–	समग्र शिक्षा पदेन	पदेन
2.	अपर राज्य परि0 निदेशक समग्र शिक्षा/नोडल अधिकारी	संवर्गानुसार	01	–	विद्यालयी शिक्षा/समग्र शिक्षा पदेन	पदेन
3.	वित्त नियंत्रक	संवर्गानुसार	01	–	विद्यालयी शिक्षा/समग्र शिक्षा पदेन	पदेन
4.	सहायक लेखाधिकारी	संवर्गानुसार	01	–	समग्र शिक्षा पदेन (AAO)	पदेन
5.	उप राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा अतिरिक्त प्रभार	संवर्गानुसार	01	–	समग्र शिक्षा पदेन	पदेन

	के रूप में प्रोज.क्ट मैनेजर(अकाद.मिक) के दायित्वों का निर्वहन।					
6.	प्रोजेक्ट मैनेजर (तकनीकी)	80,000/— (सर्विस चार्ज + जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	01	—	आउटसोर्स	M.Tech कम्प्यूटर साइंस/आई0टी0 में योग्यता। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में आंकड़ों से सम्बन्धित (Data Analysis) कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव।
7.	सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (अकाद.मिक)	40,000/— (सर्विस चार्ज + जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	12	42 वर्ष	आउटसोर्स	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर के साथ एम0एड होना अनिवार्य है। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्था में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में आंकड़े विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर सामान्य कार्य करने में दक्षता।
8.	सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (एफ0एल0एन0)	40,000/— (सर्विस चार्ज + जी0एस0टी0 अतिरिक्त)	02	42 वर्ष	आउटसोर्स	मनोविज्ञान/शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर के साथ ही एम0एड0 अनिवार्य। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में विशेषज्ञता होनी चाहिए। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में

						प्राथमिक स्तर की शिक्षा में 02 वर्ष का अनुभव तथा आंकड़ा विश्लेषण से सम्बन्धित संस्थान में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर सामान्य कार्य करने में दक्षता।
9.	सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (तकनीकी)	40,000/- (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	01	42 वर्ष	आउटसोर्स	B.Tech कम्प्यूटर साइंस। किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्था में कार्य करने तथा आंकडें विश्लेषण का 02 वर्ष का अनुभव।
10.	विशेषज्ञ, पैडागाजी)	60,000/- (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	01	–	आउटसोर्स	यूजीसी Norms के अनुसार शिक्षा शास्त्र/ मनोविज्ञान विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर। पी0एच0डी0 शिक्षाशास्त्र या मनोविज्ञान। सम्बन्धित विषय में यूजीसी नेट क्वालीफाई। किसी संस्था में पैडागॉजी के क्षेत्र में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर सामान्य कार्य करने की दक्षता। आंकड़ा विश्लेषण एवं रिपोर्ट राइटिंग में अनुभव।
11.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	40,000/- (सर्विस चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)	01	42 वर्ष	आउटसोर्स/समग्र शिक्षा पदेन	राज्य में कम्प्यूटर प्राग्रामर हेतु निर्धारित आवश्यक योग्यताओं के अनुरुप।
12.	कम्प्यूटर आपरेटर	18,000/- (सर्विस	01	42 वर्ष	आउटसोर्स	राज्य में कम्प्यूटर प्राग्रामर हेतु निर्धारित

/232609/2024

		चार्ज + जी0एस0 टी0 अतिरिक्त)				आवश्यक योग्यताओं के अनुरुप।
13.	लेखाकार	—	01	—	समग्र शिक्षा पदेन	पदेन
	योग		25			

03– (1) उक्त स्वीकृत पदो के सापेक्ष कार्मिक सेवायोजित किये जाने मे कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–111, दिनांक–27.04.2018 सपठित शासनादेश संख्या–167, दिनांक–14.06.2018 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या–379, दिनांक–29.10. 2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) राज्याधीन सेवाओ के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने वाले सेवायोजन मे आरक्षण के प्राविधान लागू किये जाने सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–426/XXX(2)/2012–3(2)2000, दिनांक–25.05. 2012 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर–3 व प्रस्तर–4 में प्रदत्त निर्देशों एवं कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–922, दिनांक 11.08.2023 में प्रदत्त निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आउटसोर्स से कार्मिको को सेवायोजित करने में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

04– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–I/231809/2024, दिनांक–08.08.2024 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-08-2024 18:56:23

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या–232609/XXIV–2/2023–25(09)2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
3. सचिव, वित्त विभाग (अनुभाग–7), उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

आज्ञा से,

Signed by Vikash Kumar Srivastava
Date: 14-08-2024 14:26:22

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

187357/2024

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–187357/24–XXIV-4-10(17)/2014
देहरादून: दिनांक 08 जनवरी 2024

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार (शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार) से सम्मानित किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–437/XXIV-4/2009 दिनांक–20 अक्टूबर 2009 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–489/XXIV-4/2012–10(14)/2010 दिनांक–25 अक्टूबर 2012 (यथासंशोधित) के प्रस्तर–2 पर विभिन्न स्तरों के लिए चयन समिति का गठन किया गया है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या– 489/दिनांक–25 अक्टूबर 2012 द्वारा जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर पर गठित चयन समिति को संशोधित करते हुये निम्नवत् चयन समिति के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– जिला स्तरीय चयन समिति–

(1)	मुख्य शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	प्राचार्य डायट	सदस्य
(3)	जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)	सदस्य
(4)	जिला शिक्षा अधिकारी (बे0)	सदस्य
(5)	सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा	सदस्य

2– मण्डल स्तरीय चयन समिति–

(1)	अपर शिक्षा निदेशक वरिष्ठतम्	अध्यक्ष
(2)	अपर शिक्षा निदेशक कनिष्ठतम्	सदस्य
(3)	प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(4)	वरिष्ठतम् सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा	सदस्य

3– राज्य स्तरीय चयन समिति–

(1)	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
(2)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
(3)	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
(4)	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	निदेशक, संस्कृत शिक्षा उत्तराखण्ड	सदस्य

/2024

(6) एक मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, वरिष्ठतम् — सदस्य
(7) अपर राज्य परियोजना निदेशक — सदस्य
(8) वरिष्ठतम् प्राचार्य — सदस्य
(9) वरिष्ठतम् मुख्य शिक्षा अधिकारी — सदस्य
(10) उप शिक्षा निदेशक, अकादमिक — सदस्य सचिव

2– उपर्युक्तानुसार उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या–489/XXIV-4/2012–10(14)/2010 दिनांक–25 अक्टूबर 2012 को इसी सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इस सम्बन्ध मे निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–437/दिनांक–20 अक्टूबर, 2009 की शेष सभी शर्ते यथावत रहेगी।

Signed by Ranjana Rajguru
Date: 02-02-2024 18:25:55

(रंजना राजगुरू)
अपर सचिव।

संख्या– 187357 /XXIV-4-10(17)/2014 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर निदेशक, माध्यमिक/बेसिक, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. सभापति/सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. अपर राज्य परियोजना निदेशक।
13. प्राचार्य डायट, उत्तराखण्ड।
14. समिति के सम्बन्धित अधिकारी/सदस्य/सदस्य सचिव (द्वारा–निदेशक, माध्यमिक)।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उप सचिव
माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन